

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2023—फाल्गुन 5, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

शुद्धि—पत्र

फा. क्र. 649—इक्कीस—ब(एक)—2023.— मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 5, भाग—4(ग), दिनांक 3 फरवरी 2023 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में नीचे दी गई सारणी में कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्ह के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं :—

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द आए हैं	शुद्ध अंक तथा शब्द जो कि पढ़े जाएं
(1)	(2)	(3)
(1) दस लाख	पृष्ठ 108 पंक्ति चार	20 लाख
(2) 1 जनवरी, 2006	पृष्ठ 110 पंक्ति चार	1 जनवरी, 2016

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक- 378/मप्रविनिआ/2023, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 86 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, पुनरीक्षण-1, 2006 को निम्नानुसार पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करता है।

“मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, पुनरीक्षण 2023 {आरजी-19 (II) वर्ष, 2023}”

भाग -एक

सामान्य

- 1.1 ये विनियम “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, {आरजी-19 (II) वर्ष, 2023}” कहलायेंगे।
- 1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र स्थित समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू होंगे तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परम्परागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से किये गये अथवा प्रस्तावित समस्त विद्युत क्रय पर लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

भाग -दो

परिभाषाएं

- 2.1 इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);
 - ख) “आयोग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;
 - ग) “दीर्घ-कालीन विद्युत अधिप्राप्ति” से अभिप्रेत है किसी व्यवस्था या अनुबन्ध/करार के अधीन विद्युत की अधिप्राप्ति जिसकी समयावधि पांच वर्ष से अधिक हो ;
 - घ) “मध्यम-कालीन विद्युत अधिप्राप्ति” से अभिप्रेत है किसी व्यवस्था या अनुबन्ध/करार के अधीन विद्युत की अधिप्राप्ति जिसकी समयावधि तीन माह से अधिक तथा पांच वर्ष तक हो ;
 - ङ) “माह” से अभिप्रेत है ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार एक कलेण्डर माह ;

- च) "पावर एक्सचेंज" से अभिप्रेत है कोई विनिमय केन्द्र (एक्सचेंज) जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार विद्युत हेतु विद्युत विनिमय केन्द्र (पावर एक्सचेंज) के रूप में संचालित किया जा रहा हो ;
- छ) "विद्युत क्रय अनुबन्ध" से अभिप्रेत है प्राप्तिकर्ता(ओं) तथा विक्रेता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध जिसके अनुसार विक्रेता उसमें निर्दिष्ट किये गये निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार प्राप्तिकर्ता(ओं) को विद्युत की आपूर्ति करेगा ;
- ज) "विद्युत विक्रय अनुबन्ध" से अभिप्रेत है किसी विद्युत क्रय अनुबन्ध के अधीन क्रय की गई विद्युत के अनुवर्ती विक्रय हेतु क्रेता इकाई(यों) तथा मध्यस्थ प्राप्तिकर्ता/व्यापारी के मध्य निष्पादित पृष्ठासन्न (बैक-टू-बैक) अनुबन्ध ;
- झ) "लघु-अवधि विद्युत अधिप्राप्ति" से अभिप्रेत है किसी व्यवस्था या अनुबन्ध/करार के अधीन विद्युत की अधिप्राप्ति जिसकी समयावधि तीन माह तक सीमित हो ; और
- ञ) "वर्ष" से अभिप्रेत है एक वित्तीय वर्ष जो वर्ष के एक अप्रैल से प्रारंभ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है के वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में या आयोग द्वारा विनियमों/संहिताओं में इनके लिये समनुदेशित किये गये हैं। इन विनियमों/संहिताओं में इनके बारे में कोई विसंगति पाये जाने पर अधिनियम में इनके लिये समनुदेशित अर्थ अभिभावी होंगे।

भाग -तीन

विद्युत अधिप्राप्ति योजना

- 3.1 वितरण अनुज्ञापतिधारी अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र की विद्युत आवश्यकता को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए मितव्ययितापूर्वक आपूर्ति संसाधनों के अनुकूलन हेतु पांच वर्षों की अवधि हेतु विद्युत अधिप्राप्ति योजना तैयार करेगा तथा आयोग को प्रति वर्ष आगामी वर्षों हेतु प्रक्षेपणों तथा योजनाओं को पुनरीक्षित करते हुए क्रमिक (रोलिंग) पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करेगा। योजना में इन विनियमों के अनुरूप मांग-आपूर्ति की स्थिति के अनुसार दीर्घ-अवधि, मध्यम-अवधि तथा लघु-अवधि स्रोतों को सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 3.2 विद्युत अधिप्राप्ति योजना विद्युत की मांग तथा ऊर्जा की आवश्यकता के संबंध में निम्न के साथ दीर्घ-अवधि/मध्यम-अवधि/लघु-अवधि विद्युत क्रय अनुबन्धों/व्यवस्थाओं को विकसित करने हेतु विचार करते हुए एक दीर्घ-अवधि पूर्वानुमान होगी :
- क) राज्य के स्वामित्व वाले पुराने तथा नवीन उत्पादन स्रोत ;
- ख) केन्द्रीय क्षेत्र के संयन्त्र ;
- ग) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) ;
- घ) आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयन्त्र ;

- ड) नवीकरणीय विद्युत संयंत्र, सहउत्पादन संयंत्रों को सम्मिलित करते हुए ;
- च) पावर ट्रेडिंग कम्पनियां ;
- छ) बाजार (मार्केट)/पावर एक्सचेंज के माध्यम से अधिप्राप्ति ;
- ज) भण्डारण विकल्प जैसे कि बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, पम्प भण्डारण परियोजनाएं आदि;
- झ) अन्य राज्यों के साथ विद्युत का अधिकोषण (बैंकिंग) ; और
- ञ) अन्य कोई स्रोत।

भाग -चार

विद्युत अधिप्राप्ति नियोजन हेतु संरचना

- 4.1 वितरण अनुज्ञापतिधारी प्रति वर्ष 31 जुलाई को या उससे पूर्व आयोग को आवश्यक सहायक प्रलेखों तथा प्रारूपों के साथ (इन विनियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार) विद्युत अधिप्राप्ति योजना प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् वितरण अनुज्ञापतिधारियों द्वारा प्रारंभिक विद्युत अधिप्राप्ति योजना को मप्रविनिआ बहुवर्षीय विद्युत-दर (टैरिफ) विनियमों की नियन्त्रण अवधि से संरेखित समयावधि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

- 4.2 पंचवर्षीय क्रमिक (rolling) योजना में निम्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा :

- क) प्रत्येक वर्ष हेतु श्रेणीवार मासिक विक्रय मय मासिक तथा वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)।
- ख) राज्य के स्वामित्व वाले विद्युत उत्पादन केन्द्रों से मासिक तथा वार्षिक उपलब्धता का आकलन तथा समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों अथवा स्रोतों, जिनके साथ अनुज्ञापतिधारी का दीर्घ-अवधि/मध्यम-अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध है, से विद्युत क्रय का विवरण।
- ग) व्यस्ततम (पीक) तथा अव्यस्ततम (ऑफ पीक) अवधियों दैनिक/मासिक भार वक्र के अनुसार पर विचार करते हुए मांग-आपूर्ति अंतर का मूल्यांकन तथा विद्युत कमी को पाटने हेतु योजना तथा तदनुसार संसाधन नियोजन संबंधी योजनाएं।
- घ) यथासंशोधित मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (आरपीओ) की पूर्ति हेतु अनुमोदित आरपीओ प्रक्षेप वक्र (ट्रेजेक्टरी) पर विचार करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा।
- ड) मांग पूर्वानुमान तथा उपलब्धता का आकलन निम्न विनियमों 4.5 से 4.21 में दर्शाये गये विस्तृत वर्णन के अनुसार किया जाएगा।

- च) पूर्व वर्षों हेतु प्रस्तुत किये गये अनुसार प्रक्षेपणों से विचलन ऐसे विचलन हेतु दिये गये कारणों के साथ ।
- 4.3 योजना का परीक्षण करते समय आयोग ऐसी अतिरिक्त जानकारी/सूचना तथा आंकड़ों (डाटा) की मांग कर सकेगा जैसा कि वह विद्युत अधिप्राप्ति योजना के परीक्षण हेतु उचित समझे तथा वितरण अनुज्ञापिधारी, जैसे तथा जब आयोग द्वारा चाहे जाने पर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा । तकनीकी प्रमाणीकरण के दौरान अनुज्ञापिधारी विद्युत अधिप्राप्ति पूर्वानुमान क्रियाविधि को प्रदर्शित करेगा ।
- 4.4 आयोग अनुज्ञापिधारियों द्वारा प्रस्तुत योजना को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करेगा ।
- क. मांग तथा ऊर्जा पूर्वानुमान**
- 4.5 मांग तथा ऊर्जा की आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु पूर्वानुमान न्यूनतम पूर्व 7 से 10 वर्षों के वास्तविक आंकड़ों के रूझानों तथा सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित होगा ।
- 4.6 पूर्व समयावधि में वर्ष दर वर्ष विकास/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) तथा समय श्रेणियों के विश्लेषण पर विचार करते हुये श्रेणीवार {खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार} मासिक विक्रय के साथ मासिक तथा वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया जाएगा । अनुज्ञापिधारी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के खपत प्रतिदर्श (पैटर्न) को समझने तथा उनके उपयोगों में विविधता मांग वक्र को विद्युत उपलब्धता वक्र के साथ संरेखित करने में किस प्रकार सहायता प्रदान करती है को समझने हेतु भार अनुसंधान अध्ययन (लोड रिसर्च स्टडीज) कार्यान्वित करेगा ।
- 4.7 मांग का पूर्वानुमान लगाते समय :
- 1) अनुज्ञापिधारी वास्तविक आँकड़ों की प्राप्ति हेतु मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करेगा, इसके लिये वह विधियों जैसे आंशिक अन्तिम उपयोग विधि (PEUM) अथवा अन्य प्रादर्श जैसे कि, आर्थिक मानदण्डों यथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, उपकरणों का प्रवेश, विद्युत-उन्मुख उद्योगों का विकास, इत्यादि का उपयोग करते हुये किये गये अर्थमितीय (इकॉनोमेट्रिक) विश्लेषण इत्यादि को अंगीकार ।
 - 2) मांग तथा ऊर्जा आवश्यकता का पूर्वानुमान राज्य विशिष्ट वैयक्तिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस) उपकरणों द्वारा गहन (डीप)/मशीन लर्निंग के उपयोग से भी लगाया जा सकेगा ।
 - 3) तकनीकी प्रमाणीकरण के दौरान प्रति वर्ष विद्युत अधिप्राप्ति योजना के साथ उपयोग किये गये उपकरण की प्रभावोत्पादकता को परिशुद्धता में सुधार लाने बाबत किये गये उपायों सहित आयोग के साथ साझा किया जाएगा ।
- 4.8 महत्वपूर्ण त्योहारों, कार्यकारी या गैर-कार्यकारी दिवसों, व्यस्ततम (पीक) तथा अव्यस्ततम (ऑफ पीक) घंटों के भार स्वरूप, मौसमी परिवर्तनों, रबी/खरीफ मौसम के प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा ।
- 4.9 उपभोक्ता श्रेणियों के विक्रय को प्राक्कलित करते समय अनुज्ञापिधारी विभिन्न श्रेणियों हेतु उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, संयोजित भार (किलोवाट) में प्रत्याशित वृद्धि, भार में वृद्धि/भार में कमी/नवीन संयोजनों/संयोजन विच्छेदों हेतु प्रस्तुत आवेदनों तथा प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु माहवार विद्युत

- खपत पर विचार करेगा। शासकीय निकायों, जैसे कि जलकार्य (वाटर वर्क्स), कृषि आदि से प्राप्त की गई निविष्टियों (इन्पुट्स) पर भी विचार किया जाएगा।
- 4.10 कृषि भारों के बारे में सीजन अनुसार भार परिवर्तन, तापमान, क्षेत्रवार वर्षा प्रतिमान (रूझान) में परिवर्तन, कृषि क्षेत्रों में जलस्तर के प्रभाव, सिंचाई सुविधाएं, क्षेत्रवार फसल के प्रकार, जैसे कि धान, जीरा, मूंग, आदि, कृषि भारों हेतु विद्युत आपूर्ति प्रतिमान तथा कृषि मौसम के दौरान उनकी आवश्यकता के सटीक आकलन हेतु भार प्रतिमान में घटत-बढ़त को ध्यान में रखा जाएगा। यदि एक से अधिक फसल प्राप्त की जा रही हो तो इसके प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा।
- 4.11 विद्युत वितरण कम्पनियों से विद्युत की अधिप्राप्ति करने वाले ऐसे अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को किये जा रहे विक्रय पर विचार करते हुए विद्युत वितरण कम्पनियों की मांग के बारे में एक्सबस आवश्यकता तथा ऊर्जा पूर्वानुमान का आकलन भी किया जाएगा।
- 4.12 मांग तथा ऊर्जा की आवश्यकता के प्राक्कलन के दौरान अन्य कारक पर विचार किया जाना आवश्यक है, जिनपर निम्न का प्रभाव निहित है :
- क) भण्डारण क्षमताएं, जैसे कि बैटरियां, पम्प भण्डारण परियोजनाएं, विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र, आदि ;
- ख) रेलवे तथा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को विद्युत का विक्रय ;
- ग) विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये गये विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्र ;
- घ) क्रियान्वित की गई ऊर्जा दक्ष योजनाएं ;
- ङ) मांग-परक प्रबन्धन, मांग प्रतिसाद (डिमांड रेस्पॉन्स) कार्यक्रम जैसे कि सौर संसाधन के अधिकतम उपयोग हेतु गैर-सूर्य प्रकाश घंटों से सूर्य प्रकाश घंटों की ओर तत्समय भार का स्थानान्तरण ; और
- च) मध्यप्रदेश शासन/केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई नवीन योजनाओं के कारण मांग।
- ख. उपलब्धता का मूल्यांकन**
- 4.13 अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान उत्पादन क्षमता तथा किसी पाइपलाइन क्षमता का प्रौद्योगिकी/ईंधनवार वर्गीकरण करेगा जिसे अनुकूलन ऊर्जा मिश्र की प्राप्ति के लिये तथा विद्युत मांग में वृद्धि की पूर्ति हेतु नियोजित किया गया है।
- 4.14 उच्च मांग मौसमों के दौरान शीर्ष भार की पूर्ति हेतु परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकरण हेतु तथा विभिन्न भण्डारण प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने हेतु भी अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न परिदृश्यों के अनुरूप संसाधन योजना विकसित करेगा।
- 4.15 लागत-अनुकूलन संसाधन योजना विकसित करते समय परिवर्तनीय लागत, संयन्त्र के उपयोगी जीवनकाल अथवा विद्युत क्रय अनुबन्ध की समाप्ति तक, तकनीकी न्यूनतम, उपरिकाल (अपटाइम)/अधोकाल (डाऊनटाइम), इकाई वचनबद्धता प्रतिबन्धों जैसे कारकों पर भी विचार किया जाएगा।

- 4.16 विद्युत की उपलब्धता के प्राक्कलन हेतु क्रियाशील राज्य/केन्द्रीय ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के पूर्व तीन वर्षों के संयन्त्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) निष्पादन पर विचार किया जाएगा। समस्त नवीन/उदीयमान ताप परियोजनाओं हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक पर विचार राज्य/केन्द्रीय टैरिफ विनियमों में प्रदत्त मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।
- 4.17 विद्यमान सौर तथा गैर-सौर विद्युत संयन्त्रों का क्षमता उपयोग कारक (CUF) संयन्त्र के पूर्व निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। नवीन/उदीयमान परियोजनाओं के क्षमता उपयोग कारक (CUF) का प्राक्कलन संयन्त्र के विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) के आधार पर किया जाएगा।
- 4.18 जल विद्युत संयन्त्रों से उपलब्धता के अनुमान हेतु अनुज्ञप्तिधारी पूर्व वर्षों के वर्षा के पैटर्न तथा तत्सम्बन्धित वास्तविक माहवार ऊर्जा उपलब्धता के साथ संबंधित जलाशय प्राधिकरण से उसके जल निकासी कार्यक्रम के लिये तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा राज्य उत्पादन कम्पनी से परामर्श करेगा जो तदनुसार आने वाले वर्षों के लिये ऊर्जा की मात्रा के प्राक्कलन हेतु विद्युत उत्पादन में मौसमी परिवर्तन को प्रतिबिंबित करेगा।
- 4.19 क्रियाशील राज्य/केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों हेतु सहायक विद्युत खपत का अवधारण पिछले तीन वर्षों के निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। नवीन/उदीयमान विद्युत परियोजनाओं हेतु सहायक खपत का अवधारण राज्य/केन्द्रीय विद्युत-दर (टैरिफ) विनियमों में निर्धारित किये गये अनुसार मानदण्डीय मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा।
- 4.20 नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों से अधिप्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा का अवधारण यथासंशोधित मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण- द्वितीय) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) प्रक्षेप-वक्र (ट्रेजेक्टरी) पर विचार करते हुए किया जाएगा।
- 4.21 ऊर्जा की उपलब्धता को प्राक्कलित करते समय, अनुज्ञप्तिधारी व्यस्ततम अवधियों के दौरान विद्युत की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य के स्वामित्व वाली जनोपयोगी सेवाओं (यूटिलिटी) के साथ अधिकोषण (बैंकिंग)/विद्युत विपणन (मार्केट) तथा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं जैसे विकल्पों की खोजबीन भी करेगा।
- 4.22 आवश्यकता, विद्युत-क्रय की लागत के औचित्य तथा दक्ष, मितव्ययी तथा एक समान विधि की कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कोई भी नवीन क्षमता व्यवस्था/गठबन्धन (टाई-अप) आयोग के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन किया जाएगा।
- 4.23 विभिन्न स्रोतों से दीर्घ/मध्यम/लघु-अवधि हेतु विद्युत सम्बंधी समस्त अधिप्राप्ति केन्द्र सरकार /आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/नियमों/विनियमों/नीतियों के अनुसार की जाएगी।
- 4.24 दीर्घ/मध्यम-अवधि हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित कोई भी नवीन विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) या विद्यमान दीर्घ/मध्यम अवधि विद्युत क्रय अनुबन्धों/विद्युत विक्रय अनुबन्ध (पीएसए) में संशोधन आयोग की पूर्व अनुमति के अध्यधीन किये जा सकेंगे :

परन्तु यह कि दीर्घ-अवधि क्रय संबंधी प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस प्रकार की गई अधिप्राप्ति के तत्संबंधी विवरण 45 दिवस के भीतर आयोग के सूचनार्थ प्रस्तुत करने होंगे।

- 4.25 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत अधिप्राप्ति योजना के साथ विभिन्न पारम्परिक विद्युत संयन्त्रों तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के साथ निष्पादित विद्युत क्रय अनुबन्धों की सूची प्रस्तुत की जाएगी।

भाग -पांच

विद्युत क्रय में विसंगति पाया जाना

- 5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अनुसार वर्ष के दौरान विद्युत अधिप्राप्ति योजना के अलावा भी अतिरिक्त विद्युत अधिप्राप्ति कर सकेगा :

परन्तु यह कि जहां वर्ष के दौरान विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि या किसी अनुमोदित स्रोत से विद्युत अपूर्ति में कमी या हास पाया जाना सन्निहित हो या विद्यमान गठबन्धन स्रोतों से विद्युत की प्राप्ति अन्य वैकल्पिक स्रोतों की तुलना में खर्चीली हो जाए तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत की अधिप्राप्ति या व्यवस्था हेतु अतिरिक्त अनुबन्ध निष्पादित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जब आकस्मिक परिस्थितियां समक्ष उपस्थित हो जाएं तथा वितरण प्रणाली की स्थिरता की आशंका सन्निहित हो या फिर राज्य भार प्रेषण केन्द्र/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ग्रीड की विफलता की रोकथाम हेतु इस बाबत निर्देशित किया जाए या आपात परिस्थितियों में तथा लघु-अवधि आधार पर अन्य राज्यों के साथ अधिकोषण (बैंकिंग) हेतु आयोग के पूर्वानुमोदन के बगैर भी विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक लघु-अवधि व्यवस्था या अनुबन्ध निष्पादित कर सकेगा। इस प्रकार के लघु-अवधि क्रय संबंधी विवरण ऐसी अध्याप्ति के 45 दिवस के भीतर आयोग की जानकारी हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे।

भाग छः

वेबसाइटों पर जानकारी की स्थापना

- 6.1 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मासिक/साप्ताहिक/दिवस-पूर्व/दिवस के अन्तर्गत विद्युत संबंधी अधिप्राप्तियों/विक्रय तथा विद्युत उत्पादक अनुसूची को अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइटों पर ऐसी अधिप्राप्तियों/विक्रय के 30 दिवस की अवधि के भीतर चालू तथा अभिलेखित आकड़ों तक सुलभ पहुंच के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
- 6.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र भी प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण पुंज (एमओडी स्टैक) मय प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत के अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

भाग -सात

समर्पित प्रकोष्ठ का गठन

7. वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस विनियम के प्रभावशील होने के तीन माह के भीतर विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु एक नियोजन प्रकोष्ठ (Planning Cell) का गठन किया जाएगा। प्रकोष्ठ द्वारा वांछित योग्यता तथा ऊर्जा पूर्वानुमान लगाने हेतु उचित उपकरण धारित किये जाने चाहिए। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक अन्य चौबीस घंटे संचालित होने वाले समर्पित प्रकोष्ठ का गठन भी

वास्तविक समय (रियल टाइम) के भीतर विद्युत क्रय/विक्रय हेतु किया जाएगा जो दिवस-अन्तर्गत, दिवस-पूर्व, सप्ताह पूर्व पावर एक्सचेंजों तथा अन्य साधनों के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति का दायित्व भी निर्वहन करेगा। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा समर्पित प्रकोष्ठ के कार्य संचालन हेतु इस विनियम के अभिप्राय से संरेखित उचित दिशा-निर्देशों की संरचना की जाएगी तथा इन विनियमों के लागू होने से 45 दिवस के भीतर आयोग को इस बारे में अवगत कराया जाएगा।

भाग -आठ

मूल्यांकन हेतु परामर्शियों को सन्निहित करने बाबत आकलन

8. वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत अधिप्राप्ति योजना को राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कम्पनियों, अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कम्पनियों तथा पारेषण (ट्रांसमिशन) कम्पनियों, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से तैयार करेगा। उसके द्वारा इस संबंध में ट्रेडिंग कम्पनियों तथा राज्यों से व्यस्ततम, अव्यस्ततम तथा सामान्य समयावधियों बाबत अधिशेष विद्युत की संभावित उपलब्धता तथा विद्युत के मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु राष्ट्रव्यापी पूछताछ भी की जाएगी।

भाग -नौ

विविध

क. विनियमों का परिपालन न किया जाना :

- 9.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों का परिपालन न किये जाने की दशा में, ऐसा अर्थदण्ड जो कि आयोग उचित समझे, के साथ-साथ, वह स्व-प्रेरणा कार्यवाही विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार प्रारंभ कर सकेगा।

ख. आदेशों को जारी करना तथा व्यावसायिक निर्देश :

- 9.2 विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों तथा इन विनियमों के अध्यक्षीन आयोग समय-समय पर इन विनियमों को लागू करने तथा प्रक्रिया जिसका परिपालन किया जाना है, के सम्बंध में आदेश तथा व्यावसायिक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा।

ग. कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां :

- 9.3 इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर, आयोग किसी सामान्य तथा विशेष आदेश द्वारा, जो कि अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादकों, अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच के क्रेताओं को समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग के विचार में कठिनाइयां दूर करने में आवश्यक तथा वांछनीय हों।
- 9.4 निर्बाध (खुली) पहुंच के क्रेता, उत्पादक, अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आयोग को एक आवेदन की प्रस्तुति द्वारा इन विनियमों की किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने हेतु जो इन विनियमों के क्रियान्वयन से उत्पन्न हुई हों, हेतु उचित आदेश की प्राप्ति हेतु अभिव्यक्ति कर सकेगा।

घ. संशोधन के अधिकार

9.5 आयोग समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन आवश्यक प्रक्रिया के परिपालन पश्चात् कर सकेगा।

ङ. निरसन एवं व्यावृत्ति :

9.6 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अर्न्तनिहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिए जारी करना आवश्यक है सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।

9.7 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के प्रावधानों से अन्यथा हो।

9.8 इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों को उस प्रकार से, जैसे वह उचित समझे, निर्वर्तित कर सकेगा।

9.9 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम (पुनरीक्षण-1), 2006 जो अधिसूचना क्रमांक 992-मप्रविनिआ-2006 दिनांक 10.04.2006 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, सहपठित समस्त संशोधनों के जो विनियम की विषयवस्तु से प्रयोज्य हों, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

टीप : इस विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम, 2023 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

प्ररूप-2

उपभोक्ता श्रेणीवार पूर्वानुमान : विद्युत वितरण कम्पनी (विद्युत वितरण कम्पनी का नाम : _____)

क्रमांक	विवरण	पूर्व वर्षों हेतु वास्तविक			चालू वर्ष या आधार वर्ष	प्रक्षेपण		
		वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-n		वर्ष-1	वर्ष-2 वर्ष-5
1	उपभोक्ता श्रेणी का नाम : (खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार)							
2	उपभोक्ताओं की संख्या							
3	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
4	संयोजित मार (किलोवाट)							
5	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
6	ऊर्जा की खपत (मिलियन यूनिट)							
7	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
8	विशिष्ट ऊर्जा की खपत (किलोवाट ऑवर)							
9	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
10	परिचालन की अवधि (घंटे) (जैसा कि लागू हो)							
11	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
12	पूर्वानुमान के दौरान सुविचारित अन्य कोई मापदण्ड (Parameter)							
13	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							

टीप : 1. श्रेणीवार पूर्वानुमान को रेखाचित्रों (ग्राफों) के साथ संलग्न किया जाएगा जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता श्रेणी हेतु वार्षिक मांग प्रतिमान (पेटर्न) को दर्शाया जाएगा।

2. मांग पूर्वानुमान की गणना मप्रविनिआ (विद्युत क्रय एवं अध्यापित प्रक्रिया) विनियम 2022 के विनियम 4.5 से 4.12 के अनुसार की जाएगी।

प्ररूप-3

विद्युत आपूर्ति प्रक्षेपण-संक्षेपिका विवरण-पत्र (पंचवर्षीय अवधि)

क्रमांक	विवरण	प्रक्षेपण				
		वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
1	ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (एक्स-बस)					
2	विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) (मिलियन यूनिट) हेतु					
3	राज्य हेतु (खुली पहुंच तथा रेलवे को सम्मिलित करते हुए) (मिलियन यूनिट)					
4	ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट)					
	मग्न जेनको ताप विद्युत संयन्त्र					
	मग्न जेनको जल विद्युत संयन्त्र					
	इन्दिरा सागर परियोजना, आंकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाएं					
	केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र					
	अल्ट्रा मेगावाट पावर संयन्त्र तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक					
	सौर ऊर्जा की उपलब्धता					
	गैर-सौर ऊर्जा की उपलब्धता					
5	योग (मिलियन यूनिट)					
6	अधिशेष (+)/कमी (-) (मिलियन यूनिट) (5-3)					
7	अधिशेष (+)/कमी (-) (प्रतिशत) (6/1)					
8	अधिकोषण (बैंकिंग)/पावर मार्केट (जैसा कि लागू हो)					
9	उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)					
	-मग्न जेनको ताप विद्युत					

प्ररूप-4

व्यस्ततम अवधि (पीक) हेतु विद्युत आपूर्ति प्रक्षेपण-संक्षेपिका विवरण-पत्र (पंचवर्षीय अवधि)
व्यस्ततम घंटे (प्रातःकाल/दिन में/सायंकाल)

क्रमांक	विवरण	प्रक्षेपण				
		वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
1	शीर्ष भार (मेगावाट) (मध्यप्रदेश राज्य सीमा के अंतर्गत)					
2	विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) (मिलियन यूनिट) हेतु					
3	राज्य हेतु (खुली पहुंच तथा रेलवे को सम्मिलित करते हुए (मिलियन यूनिट)					
4	व्यस्ततम अवधि (पीक) हेतु उपलब्धता (मिलियन यूनिट)-प्रातःकाल/दिन में/सायंकाल					
	मग्न जनको ताप विद्युत संयन्त्र					
	मग्न जनको जल विद्युत संयन्त्र					
	इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना तथा अन्य जल विद्युत					
	केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र					
	अल्ट्रा मेगावाट पावर संयन्त्र तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक					
	सौर ऊर्जा की उपलब्धता					
	गैर-सौर ऊर्जा की उपलब्धता					
	अधिकोषण (बैंकिंग)/पावर मार्केट के माध्यम से उपलब्धता					
5	व्यस्ततम अवधि (पीक) हेतु उपलब्धता (बैंकिंग/पावर मार्केट को छोड़कर)					
6	व्यस्ततम अवधि (पीक) हेतु उपलब्धता (बैंकिंग/पावर मार्केट को सम्मिलित करते हुए)					
7	अधिशेष (+)/कमी (-) (बैंकिंग/पावर मार्केट को छोड़कर)					
8	अधिशेष (+)/कमी (-) (बैंकिंग/पावर मार्केट को सम्मिलित करते हुए)					

टीप : 1. राज्य हेतु प्रातःकाल/दिन में/सायंकाल मासिक व्यस्ततम उपलब्धता पूर्वानुमान पृथक से प्रस्तुत किया जाए।
2. विद्युत प्रदाय की स्थिति के साथ कम्पनी द्वारा भार अनुसंधान (Load Research) के आधार पर वार्षिक या मासिक 24 घंटे भार प्रतिमान (पैटर्न) को आवश्यक रूप से संलग्न किया जाए।

प्ररूप-5

उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता-संक्षेपिका विवरण-पत्र (मेगावाट)

वर्ष :

क्रमांक	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
1	राज्य की विद्युत उत्पादन कम्पनियां													
2	राज्य के जल उत्पादन संयंत्र													
3	संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत संयंत्र													
4	केन्द्रीय क्षेत्र													
5	स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक													
6	नवीकरणीय ऊर्जा													
	सौर													
	पवन													
	अन्य													
7	मध्यप्रदेश राज्य हेतु उपलब्ध कुल विद्युत उत्पादन क्षमता													

टीप : उपरोक्त प्ररूप को पांच वर्षों की सम्पूर्ण अवधि हेतु प्रत्येक राज्य/केन्द्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से संयन्त्रवार उपलब्धता के आधार पर भरा जाए।

प्ररूप-9

मांग पूर्वानुमान में विचलन-संक्षेपिका वितरण-पत्र-विद्युत वितरण कम्पनीवार (विद्युत विवरण कम्पनी का नाम _____)

क्रमांक	विवरण	पूर्व वर्ष योजना के अनुसार अनुमोदित (1)	वास्तविक (2)	विचलन (2)-(1)	विचलन हेतु कारण
1	ऊर्जा का विक्रय-मिलियन यूनिट (उपभोक्ता श्रेणीवार खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार)				
2	कुल ऊर्जा का विक्रय (मिलियन यूनिट)-(समस्त उपभोक्ता श्रेणियों का संव्ययी (Cumulative))				
3	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)				
4	राज्य पारेषण तथा वितरण हानियां-प्रतिशत में				
5	राज्य पारेषण तथा वितरण हानियां-मिलियन यूनिट में				
6	विद्युत प्रदाय/आवश्यकता, विद्युत वितरण कम्पनी की सीमा पर (मिलियन यूनिट)				
7	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)				
8	पारेषण हानि (राज्यान्तरिक + अन्तरराज्यीय) प्रतिशत में				
9	पारेषण हानि (राज्यान्तरिक + अन्तरराज्यीय) मिलियन यूनिट में				
10	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पट्टी उपभोक्ताओं, रेलवे को छोड़कर)-प्रतिबंधित				
11	एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लि. का विशेष आर्थिक परिसेत्र (SEZ) को विक्रय (जैसा कि लागू हो)				
12	रेलवे/खुली पट्टी उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा का परिकहन (जैसा कि लागू हो)				
13	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पट्टी, रेलवे को सम्मिलित करते हुए)-प्रतिबंधित				
14	प्रणाली की बाध्यताओं के कारण आपूर्तिविहीन (unsupplied) ऊर्जा (मिलियन यूनिट)				
15	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पट्टी, रेलवे को छोड़कर)-अप्रतिबंधित				

16	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पहुंच, रेलवे को सम्मिलित करते हुए)-अप्रतिबंधित					
17	विद्युत वितरण कम्पनी का व्यस्ततम भार (पीक लोड) (मेगावाट) (खुली पहुंच, रेलवे को छोड़कर)					
18	विद्युत वितरण कम्पनी का व्यस्ततम भार (पीक लोड) (मेगावाट) (खुली पहुंच, रेलवे को सम्मिलित करते हुए)					
19	प्रणाली भार कारक (System Load Factor)					

प्ररूप-10

विद्युत आपूर्ति स्थिति में विचलन

क्रमांक	विवरण	पूर्व वर्ष योजना के अनुसार अनुमोदित (1)	वास्तविक (2)	विचलन (2)-(1)	विचलन हेतु कारण
1	ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट)				
	मप्र जेनको ताप विद्युत संयन्त्र				
	मप्र जेनको जल विद्युत संयन्त्र				
	इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना सरदार सरोवर परियोजना तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाएं				
	केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र				
	अल्ट्रा मेगावाट पावर संयन्त्र तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक				
	सौर ऊर्जा की उपलब्धता				
	गैर-सौर ऊर्जा की उपलब्धता				
2	योग (मिलियन यूनिट)				
3	अधिशेष (+)/कमी(-) (मिलियन यूनिट)				
4	अधिशेष (+)/कमी(-) (प्रतिशत)				
5	अधिकोषण (बैंकिंग)/पावर मार्केट (जैसा कि लागू हो)				
6	उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)				
	--मप्र जेनको ताप विद्युत				
	--मप्र जेनको जल विद्युत				
	--इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना सरदार सरोवर परियोजना तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाएं				

Bhopal, the 17th February 2023

No. 378/ MPERC-2022. In exercise of the powers conferred under sub section (1) of section 181 read with clause (b) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, proposes to revise the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Purchase and Procurement Process) Regulations, Revision I, 2006.

Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Purchase and Procurement Process) Regulations, 2023 {RG-19(II) of 2023}

Part I – General

1. Short title and commencement. -

- 1.1 These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Purchase and Procurement Process) Regulations, 2023 {RG-19(II) of 2023}".
- 1.2 These Regulations shall apply to all the Distribution Licensees in the territory of the State of Madhya Pradesh and shall be applicable to all purchases of power from Conventional and Renewable sources of energy made or proposed to be made by a Distribution Licensee.
- 1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Part II – Definitions

2. Definitions

- 2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires,
 - a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - b) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
 - c) "Long-term Power Procurement" means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration exceeding five years;
 - d) "Medium-term Power Procurement" means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration exceeding three months and upto five years;
 - e) "Month" means a calendar month as per the British Calendar;

- f) **“Power Exchange”** means any Exchange operating as power exchange for electricity in terms of the guidelines issued by the Central Electricity Regulatory Commission;
- g) **“Power Purchase Agreement (PPA)”** means the agreement entered into between the Procurer and the Seller pursuant to which the Seller shall supply power to the Procurer as per the terms and conditions specified therein;
- h) **“Power Sale Agreement (PSA)”** shall mean the back-to-back agreement entered into between the Buying Entity and the Intermediary Procurer/Trader for onward sale of power purchased under any Power Purchase Agreement;
- i) **“Short-term Power Procurement”** means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration upto 3 months; and
- j) **“Year”** means a financial year commencing on 1st April of the year and ending on 31st March of the succeeding year.

2.2 Words and expressions which are not defined in these Regulations shall have the same meaning as assigned to them in the Act or Regulations/ Codes of the Commission. In case of any inconsistency between these Regulations/Codes and the Act, the meaning assigned to them in the Act shall prevail.

Part III – Power Procurement Plan

- 3.1 The Distribution Licensee shall prepare the Power Procurement Plan comprising of resource planning to optimize supply resources economically for a period of 5 years with due regard to requirement of electricity in its area of supply and submit a rolling 5-year plan every year duly revising the projections and plans for the ensuing years to the Commission. The plan may include long-term, medium- term and short-term sources of power purchases as per demand – supply position in accordance with these Regulations.
- 3.2 The Power Procurement plan shall be a long-term forecast for power demand and energy requirement considering the need for development of long-term / medium-term / short-term Power Purchases Agreement /arrangements with:
- a) State-owned old as well as new generation sources;
 - b) Central sector Plants;
 - c) Independent Power Producers (IPPs);
 - d) Captive Power Plants;

- e) Renewable Power Plants including Co-gen Plants;
- f) Power Trading Companies;
- g) Procurement through Market / Power Exchange;
- h) Storage options such as Battery Energy Storage System, Pump Storage Projects etc.;
- i) Banking of power with other States; and
- j) Any other source.

Part IV – Framework for Power Procurement Planning

- 4.1 The Distribution Licensee shall submit the Power Procurement Plan along with necessary supporting documents and formats (attached as Annexure to these Regulations) every year on or before 31st July to the Commission:

Provided that initial power procurement plan after notification of these Regulations shall be submitted by the Distribution Licensees for a time period aligned with the Control period of MPERC MYT Regulations.

- 4.2 The 5-year rolling plan shall be comprised of the following, namely : -

- a) Category wise monthly sales along with monthly and yearly energy requirement (Million Units) for each year.
- b) Assessment of monthly and yearly availability from State owned stations and purchases from all stations or sources with which Licensee has long-term/medium-term Power Purchase Agreement.
- c) Assessment of the demand-supply gap considering peak, and off- peak periods (as per daily/monthly load curve) and plans to bridge the deficit and resource planning accordingly.
- d) Quantum of purchase to be made from Renewable Energy Plants considering the approved Renewable Purchase Obligation (RPO)trajectory to meet the RPO requirement as specified in the MPERC (Co-generation and generation of electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-II) Regulations 2021 and amendments thereof.
- e) The demand forecast and assessment of availability shall be as detailed out in Regulations 4.5 to 4.21 below.

f) Deviation from projections as submitted for previous years along with reasons for such deviations.

4.3 While examining the plan, the Commission may call for such additional information and data as it may deem necessary to examine the Power Procurement Plan and the Distribution Licensee shall furnish such information, as and when required by the Commission. During technical validation, the Licensee shall demonstrate the power procurement forecast methodology.

4.4 The Commission shall provide in-principle approval to the plan submitted by the Licensees.

A. Demand and Energy Forecast:

4.5 The forecasting for demand and energy requirement shall be based on trends and statistical analysis of historical data of at least past 7-10 years.

4.6 Category wise (as per retail supply tariff order) monthly sales projections along with monthly and yearly energy requirement forecast shall be done considering the year-on-year growth/Compound Annual Growth Rate (CAGR) for past period and time series analysis. The Licensee shall also carry out Load Research studies of various consumer categories to understand their consumption pattern and how diversity in their usages helps in aligning demand curve with power availability curve.

4.7 While forecasting the demand:

1) Licensee shall use IT Tools to minimize human intervention to arrive at realistic figures by adopting the approach such as Partial End Use Method (PEUM) or other models like Econometric Analysis through use of economic parameters such as growth in Gross Domestic Product(GDP), per capita income, penetration of appliances, growth in electricity-intensive industries etc.

2) State specific customized artificial intelligence (AI) tools using deep/machine learning may also be used for Forecasting Demand and Energy Requirement.

3) The effectiveness of tool used along with measures taken to improve accuracy shall be shared with the Commission along with power procurement plan every year during technical validation.

4.8 The effect of important festivals, working days or non-working days, Peak and Off-peak hours load pattern, seasonal variations, rabi/kharif season shall also be considered.

- 4.9 While estimating the sales for consumer categories, the Licensee shall consider the growth in number of consumers for categories, expected increase in connected load (kW), applications for load enhancement/load reduction/new connections/disconnections and the month-wise energy consumption for each consumer category. The inputs received from Government Bodies viz. Water Works, Agriculture etc. shall also be considered.
- 4.10 For agricultural loads, the season wise change in load, temperature, area wise rainfall pattern, impact of water level in agricultural pockets, irrigation facilities, area wise type of crop like Paddy, Cummins, Moong etc., power supply pattern for agriculture loads and variation in load pattern during agriculture season shall be taken into account to accurately estimate their requirement. In case more than one crop is being taken, its impact shall also be considered.
- 4.11 The Ex-bus requirement of Discoms' demand and energy forecast shall also be done considering sale to such other Distribution Licensees procuring power from Discoms.
- 4.12 Other factors that need to be considered during estimation of demand and energy requirement are impact due to:
- a) Storage capacities like Batteries, Pump Storage Projects, Electric Vehicle charging stations etc.;
 - b) Sale to railways and open access consumers;
 - c) Decentralized renewable energy plants set up under various initiatives.
 - d) Implemented energy efficiency schemes;
 - e) Demand side management, demand response program for instance, load shifting from non-sunny hours to sunny hours for maximum utilization of solar resource; and
 - f) Demand due to new schemes implemented by GoMP/Central Government.

B. Assessment of Availability:

- 4.13 The Licensee shall carry out technology/fuel wise categorization of existing generation capacity and any pipeline capacity which has been planned to be added to get an optimal energy mix to meet the rise in power demand.
- 4.14 The Licensee shall develop a resource plan with different scenarios for RE integration with conventional power sources and adoption of different storage technologies to meet the peak load during high demand seasons.

- 4.15 While developing a cost-optimal resource plan, factors such as variable cost, useful life of plant or till expiration of PPA, technical minimum, up-time/down-time, unit commitment constraints may also be considered.
- 4.16 The Plant Availability Factor (PAF) of operational State/ Central Thermal Generating stations and Independent Power Producers (IPPs) shall be considered based on past performance for last 3 years to estimate the availability of power. PAF for all new/upcoming thermal projects shall be considered as per norms provided in State/Central Tariff Regulations.
- 4.17 The Capacity Utilization Factor (CUF) of existing solar and non-solar power plants shall be considered on the basis of past performance of the plant. For new/upcoming projects the CUF shall be estimated as per PPA of the plant.
- 4.18 For estimating availability from Hydro Power Plants (HPPs), the Licensee shall also consider past years rainfall pattern and corresponding actual month wise energy availability in consultation with concerned Reservoir Authority for their water discharge programme along with State Load Dispatch Center (SLDC) and State Generating Company, thereby reflecting the seasonal variation in generation pattern for estimating the quantum of energy for forthcoming years.
- 4.19 For operational State/Central Generating Stations and IPPs, the Auxiliary Consumption shall be determined based on past performance for last 3 years. For new/upcoming power projects the Auxiliary Consumption shall be determined based on normative parameters as laid down in State/Central Tariff Regulations.
- 4.20 The quantum of energy to be procured from renewable energy plants shall be determined considering the RPO trajectory in the MPERC (Co-generation and generation of electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-II) Regulations 2021 and amendments thereof.
- 4.21 While estimating the energy availability, the Licensee shall explore other options like banking/power market and bilateral arrangements with other state-owned utilities to ensure power availability during Peak Periods.
- 4.22 Any new Capacity arrangement/tie-up shall be subject to the prior approval of the Commission in view of necessity, reasonableness of cost of power purchase and promotion of working in an efficient, economical and equitable manner.

4.23 All procurement of long / medium / short-term power from various sources shall be carried out as per the Guidelines / Rules / Regulations / Policies issued by the Central Government/Commission from time to time.

4.24 Any new power purchase agreement for long/medium-term or amendments to existing long/medium-term Power Purchase Agreements (PPA's)/ Power Sale Agreement (PSA) entered into by the Distribution Licensee shall be subject to the prior approval of the Commission:

Provided that in case of short-term purchases, the Licensees shall submit details within 45 days of such procurement for information of the Commission.

4.25 Distribution Licensees shall submit the list of all existing Power Purchase Agreements executed with different conventional power plants as well as RE Generators along with the Power Procurement Plan.

Part V-Variation in Power Purchase

5. The Distribution Licensee may undertake additional power procurement during the year, over and above the power procurement plan, in accordance with these Regulations:

Provided further that where there has been an unanticipated increase in the demand for electricity or a shortfall or failure in the supply of electricity from any approved source of supply during the year or when the sourcing of power from existing tied-up sources becomes costlier than other available alternative sources, the Distribution Licensee may enter into additional agreement or arrangement for procurement of power:

Provided that the Distribution Licensee may enter into a short-term arrangement or agreement for procurement of power when faced with emergency conditions that threaten the stability of the distribution system, or when directed to do so by the SLDC/RLDC to prevent grid failure or during exigency conditions and for banking with other states on short-term basis without prior approval of the Commission. The details of such short-term purchases shall be submitted within 45 days of such procurement for information of the Commission.

Part VI-Placing of information on websites

6.1 The monthly/weekly/day-ahead/intraday power procurements/sale by the Licensees and generator schedule shall be made available on the websites of the Licensees and SLDC within 30 days of such procurements/sale with ease of access to the current as well as archived data.

- 6.2 SLDC shall also publish the monthly Merit Order Dispatch (MoD) stack along with per unit variable cost of each generating station in its website.

Part VII Constitution of dedicated cells

- 7 The Distribution Licensees shall establish a planning cell for power procurement within three months from the Regulation coming into force. The cell shall have the requisite capability and tools for energy forecast. Another round the clock dedicated cell shall also be constituted by the Distribution Licensees for power purchase/sale in real-time, and also undertake intra-day, day-ahead, week ahead power procurement through Power Exchanges or any other means. The Licensees shall frame suitable guidelines for the modus operandi of the dedicated cells in line with the spirit of this Regulation and shall apprise the Commission for the same within 45 days from the coming into force of these Regulations.

Part VIII-Assessment to involve consultation

- 8 The Distribution Licensee shall make the power procurement plan in consultation with State sector Generating Companies, other Distribution Licensees, MPPMCL, Central sector Generating Companies and Transmission Companies, National / Regional Load Dispatch Centres, Central Electricity Authority. It shall also make enquiries with the Trading Companies and States with surplus power to estimate the likely availability and price of power across the country for peak, off-peak and normal periods.

Part IX – Miscellaneous

A. Non-Compliance of these Regulations:

- 9.1 In the event of the Distribution Licensee not complying with these Regulations, the Commission, in addition to imposing such penalty as it may deem fit, may initiate Suo-Motu proceedings as per appropriate provisions of the Electricity Act 2003.

B. Issue of Orders and Practice Directions:

- 9.2 Subject to the provisions of the Electricity Act 2003 and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of the regulations and procedure to be followed.

C. Powers to Remove Difficulties:

- 9.3 If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, direct the SLDC, Generators, Licensees and the Open Access Customer, to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.
- 9.4 The Open Access Customers, Generators, Licensees and SLDC may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulty that may arise in implementation of these Regulations.

D. Power to amend:

- 9.5 The Commission may from time to time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations after following the necessary procedures.

E. Repeal and Savings:

- 9.6 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
- 9.7 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 9.8 Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.
- 9.9 The MPERC (Power Purchase and Procurement Process) Regulations, Revision-1, 2006 published vide Notification No. 992/MPERC/2006 dated 10/04/2006 in the official Gazette and read with all amendments thereto, as applicable to the subject matter of this regulation are hereby superseded.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

Format-1

Demand Forecast (Summary Statement) - Discom wise (Name of Discom: _____)

No.	Particulars	Actual of Previous Years				Current Year or Base Year	Projections		
		Yr-1	Yr-2	...Yr-n	Yr-1		Yr-2	...Yr-5	
1	Energy Sale - MUs (Consumer Category wise as per Retail Supply Tariff Order)								
2	Total Energy Sale (MU) - (Cumulative of all consumer categories)								
3	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
4	ST & D losses - in %								
5	ST & D losses - in MU								
6	Supply / Requirement at DISCOM Boundary(MU)								
7	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
8	Transmission Loss (intra +inter-state) in %								
9	Transmission Loss (intra +inter-state) in MU								
10	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (excluding OACs, Railways) - RESTRICTED								
11	Sale by MPPMCL to SEZ (as applicable)								
12	Energy Wheeled for Railways/OA Consumers (as applicable)								
13	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (including OA, Railways) -RESTRICTED								
14	Unsupplied energy due to system constraints (MU)								
15	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (excluding OA, Railways) - Unrestricted								
16	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (including OA, Railways) - Unrestricted								
17	Peak load of DISCOM (MW) (excluding OA, Railways)								
18	Peak load of DISCOM (MW) (including OA, Railways)								
19	System Load Factor								

Note: 1. The Demand Forecast would be supported by Graphs showing yearly Consumption Pattern for Consumer Category.

2. The Demand Forecast shall be done in accordance with Regulation No. 4.5 to 4.21 of the MPERC (Power Purchase and Procurement Process) Regulations 2022

3. The above format for furnishing information related to Demand Forecasting is subject to change if methodology adopted for Demand Forecasting is other than PEUM.

Format-2

Consumer Category Wise forecast :- Discom (Name of Discom: _____)

No.	Particulars	Actual of Previous Years				Current Year or Base Year	Projections		
		Yr-1	Yr-2	...Yr-n	Yr-1		Yr-2	...Yr-5	
1	Consumer Category Name:- (as per Retail Supply Tariff Order)								
2	No of consumers								
3	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
4	Connected load (kW)								
5	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
6	Energy consumption (MU)								
7	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
8	Specific energy consumption (kWh)								
9	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
10	Hours of operation (as applicable)								
11	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
12	Any other parameter considered during forecasting								
13	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								

Note: 1. The Demand Forecast would be supported by Graphs showing yearly Consumption Pattern for Consumer Category.
2. The Demand Forecast shall be done in accordance with Regulation No. 4.5 to 4.12 of the MPEEC (Power Purchase and Procurement Process) Regulations 2022

Format-3

Power Supply Projections-Summary Statement (5 Year Period)

No.	PARTICULARS	Projections				
		Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5
1	Energy Requirement (MU) (Ex-Bus)					
2	For DISCOMs & SEZ (MU)					
3	For State (including OA & Railways) (MU)					
4	Energy Availability (MU)					
	MP Genco Thermal Plants					
	MP Genco Hydel Plants					
	ISP, OSP, SSP & Other Hydel					
	Central Sector Stations					
	UMPP & IPPs					
	Solar Availability					
	Non-Solar Availability					
5	TOTAL (MU)					
6	Surplus(+)/Deficit(-) (MU) (5-3)					
7	Surplus(+)/Deficit(-) (%) (6/1)					
8	Banking/Power Market (as applicable)					
9	Available Generation Capacity (MW)					
	- MP GENCO Thermal					
	- MP GENCO Hydel					
	- ISP, OSP, SSP & Other Hydel					
	- Central Sector					
	- UMPP & IPPs					
	- Solar plants					
	- Non-solar plants					
10	TOTAL (MW)					

Note: 1. The Monthly Power Supply Forecast for the State needs to be furnished separately
2. The Power Supply Position would be supported by Graphs showing yearly and Monthly Pattern

Format-4

Peak Power Supply Projections-Summary Statement (5 Year Period)

Peak Hours (Morning/Day/Evening)

No.	PARTICULARS	Projections				
		Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5
1	Peak Load (MW) (MP Periphery)					
2	For DISCOMs & SEZ (MW)					
3	For State (including OACs & Railways) (MW)					
4	Peak availability (MW) - (Morning/Day/Evening)					
	MP Genco Thermal Plants					
	MP Genco Hydel Plants					
	ISP, OSP, SSP & Other Hydel					
	Central Sector Stations					
	UMPP & IPPs					
	Solar Availability					
	Non-Solar Availability					
	Availability through banking/Power Market					
5	Peak availability (excluding banking/Power Market)					
6	Peak availability (including banking/ Power Market)					
7	Surplus(+)/Deficit(-) (excluding banking/ Power Market)					
8	Surplus(+)/Deficit(-) (including banking/ Power Market)					

Note: 1. The Monthly Peak Availability Forecast for the State for morning/day/evening needs to be furnished separately

2. The Power Supply Position needs to be supported by Graphs showing yearly or monthly 24 hr load pattern based on Load Research by the Company.

Format-5

Available Generation Capacity- Summary Statement (MW)

No.	Particulars	Year:												Total			
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March				
1	State Generos																
2	State Hydelis																
3	JV and other Hydelis																
4	Central Sector																
5	IPPs																
6	Renewables																
	Solar																
	Wind																
	Others																
7	Total Available Generation Capacity of Madhya Pradesh																

Note: The above format needs to be filled considering the plant wise availability of each State/Central Generating plants, IPPs and other renewable plants for entire 5-year plan.

Format-8

Plan for Renewable Purchase Obligation (RPO)

No.	Particulars	Projection				
		Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5
1	Ex-Bus Energy Requirement (MU) (DISCOMs + SEZ)					
2	Anticipated availability from Hydro (MU)					
3	Energy requirement to be considered for RPO(MU)					
a	RPO %					
b	Solar RPO (MU)					
c	Capacity required (MW)					
d	RPO %					
e	Non- Solar RPO (MU)					
f	Capacity required (MW)					
4	Year wise Renewable Capacity already tied up (MW)					
a	Solar (including KUSUM A & KUSUM C)					
b	Non-Solar (including mini hydel)					
c	Total					
5	Year wise Cumulative Renewable Capacity including tied up projects (MW)					
a	Solar Capacity (3c+4a)					
b	Non-Solar Capacity (3f+4b)					
c	Total Capacity (3c+3f+4c)					
	Year wise Total Renewable capacity required to be tied up to fulfill RPO (2+5)					

Format-9

Deviation in Demand Forecast- Summary Statement - Discsom wise (Name of Discsom: _____)

No.	Particulars	Previous Years approved As per Plan (1)	Actual (2)	Deviation (2-1)	Reasons for deviation
1	Energy Sale - MUs (Consumer Category wise as per Retail Supply Tariff Order)				
2	Total Energy Sale (MU)- (Cumulative of all consumer categories)				
3	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)				
4	ST & D losses - in %				
5	ST & D losses - in MU				
6	Supply / Requirement at DISCOM Boundary(MU)				
7	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)				
8	Transmission Loss (intra +inter-state) in %				
9	Transmission Loss (intra +inter-state) in MU				
10	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (excluding OACs, Railways) - RESTRICTED				
11	Sale by MPPMCL to SEZ (as applicable)				
12	Energy Wheeled for Railways/OA Consumers (as applicable)				
13	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (including OA, Railways) -RESTRICTED				
14	Unsupplied energy due to system constraints (MU)				
15	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (excluding OA, Railways) - Unrestricted				
16	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (including OA, Railways) - Unrestricted				
17	Peak load of DISCOM (MW) (excluding OA, Railways)				
18	Peak load of DISCOM (MW) (including OA, Railways)				
19	System Load Factor				

Format-10

Deviation in Power Supply Position

No.	PARTICULARS	Previous Years approved As per Plan (1)	Actual (2)	Deviation (2-1)	Reasons for deviation
1	Energy Availability (MU)				
	MP Genco Thermal Plants				
	MP Genco Hydel Plants				
	ISP, OSP, SSP & Other Hydel				
	Central Sector Stations				
	UMPP & IPPs				
	Solar Availability				
	Non-Solar Availability				
2	TOTAL (MU)				
3	Surplus(+)/Deficit(-) (MU)				
4	Surplus(+)/Deficit(-) (%)				
5	Banking/Power Market (as applicable)				
6	Available Generation Capacity (MW)				
	- MP GENCO Thermal				
	- MP GENCO Hydel				
	- ISP, OSP, SSP & Other Hydel				
	- Central Sector				
	- UMPP & IPPs				
	- Solar plants				
	- Non-solar plants				
7	TOTAL (MW)				

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2023

क्रमांक- 394/मप्रविनिआ/2023 : विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2) (यध) के साथपठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, 2020, (पुनरीक्षण चार) {आरजी-26(IV).वर्ष 2020} (जिसे एतद् पश्चात् "मूलविनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिये निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, 2020,में द्वितीय संशोधन {एआरजी-26(IV)(ii) वर्ष 2023}

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020, {एआरजी-26(IV)(ii) वर्ष 2023} है।

1.2 ये विनियम इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन:

2.1 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (5) के पश्चात् एक नवीन खण्ड (5 क) निम्नानुसार अन्तः स्थापित किया जाए :

“(5क) ‘उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु सहायक ऊर्जा खपत’ अथवा AUXe’ से कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में किसी अवधि के संदर्भ में अभिप्रेत है कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के सहायक उपकरण द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा ;”

2.2 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (19) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात् खण्ड (19क) निम्नानुसार अन्तः स्थापित किया जाए :

“(19क)“उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली” से अभिप्रेत हैपुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में स्थापित किये जाने वाले वांछित उपकरणों अथवा यन्त्रों का समुच्चय (सेट) ;”

- 2.3 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (42) में शब्दों में “मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत (मेगावाट में) को घटाकर इसे स्थापित क्षमता के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा” के स्थान पर शब्द“जिनमें से इन विनियमों के अनुसार मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत तथा मानदण्डीय उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली क्षमता (मेगावाट में) के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा” स्थापित किये जाएं।
- 2.4 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (43) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड(43) स्थापित किया जाए :

“(43)“संयन्त्र भार कारक” से किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र या किसी इकाई (यूनिट) के संबंध में किसी प्रदत्त अवधि से अभिप्रेत है, उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित विद्युत उत्पादन से तत्संबंधी प्रेषित की गई कुल ऊर्जा की मात्रा जिसे अवधि के दौरान स्थापित क्षमता से तत्संबंधी प्रेषित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

N

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SGI / \{N \times IC \times (100 - AUX_n - AUX_{en})\} \%$$

जहां,

IC = विद्युत उत्पादन केन्द्र या इकाई की मेगावाट में व्यक्त की गई स्थापित क्षमता,

SG Δ= अवधि के i वें समय खण्ड हेतु मेगावाट में व्यक्त किया गया अनुसूचित विद्युत उत्पादन,

N = अवधि के दौरान समय खण्डों की संख्या,

AUX_n = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत जिसे विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, तथा

AUX_{en}=उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत जिसे सकल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो।

2.5 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (56) में शब्दों "या इनके किसी संयोजन के उपयोग" के पश्चात् शब्द "या कोयले के साथ बाओमास के सह-जलावन (को-फायरिंग) द्वारा" अन्तःस्थापित किये जाएं।

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 4 में खण्ड 4.1(2)(xi) के पश्चात् निम्नानुसार खण्ड 4.1(3) स्थापित किया जाए :

"(3) "प्रचालन की तिथि या 'ODe' जो उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली से संबद्ध है, से अभिप्रेत है। समस्त प्रयोज्य तकनीकी तथा पर्यावरणीय मानकों की पूर्ति के पश्चात् उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली को उपयोग में लाये जाने की तिथि जिसे प्रबन्धन प्रमाणपत्र (मैनेजमेंट सर्टिफिकेट) के माध्यम से किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसका पदभार विद्युत उत्पादन कम्पनी के संचालक पद से कम न होगा।"

4. मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन

4.1 मूल विनियमों के विनियम 5.1 की प्रथम पंक्ति में शब्दों "के बारे में" के पश्चात् तथा शब्दों "विद्युत दर का अवधारण" से पूर्व शब्दों "उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो" को अन्तःस्थापित किया जाए।

4.2 मूल विनियमों के विनियम 5.5 के स्थान पर निम्नानुसार विनियम स्थापित किया जाए :

"पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन हेतु संस्थापित परिसम्पत्तियां उत्पादन योजना का ही भाग होंगी तथा संबंधित विद्युत-दर का अवधारण पृथक से इन विनियमों के विनियम 6.1 के द्वितीय परन्तुक के अधीन दाखिल आवेदन के अनुसार किया जाएगा।"

5. मूल विनियमों के विनियम 6 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 6.1 के अधीन एक नवीन परन्तुक, अर्थात् द्वितीय परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन कम्पनी को इन विनियमों के अनुसार ऐसी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि से 60 दिवस के भीतर कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में संस्थापित उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु अनुपूरक विद्युत-दर के अवधारण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।"

6. मूल विनियमों के विनियम 16 में संशोधन

विनियम 16.2 में शब्दों 'अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार' के स्थान पर शब्द 'अनुपूरक विद्युत-दर (टैरिफ) जिसमें अनुपूरक क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार सम्मिलित होंगे' स्थापित किये जाएं।

7. मूल विनियमों के विनियम 17 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 17.1 के परन्तुक के पश्चात् एक नवीन विनियम, नामतः विनियम 17.2 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"17.2 अनुपूरक क्षमता प्रभार : अनुपूरक क्षमता प्रभारों को उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की वार्षिक स्थाई लागत (AFCe) के आधार पर व्युत्पादित किया जाएगा। उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु वार्षिक स्थाई लागत में इस विनियम के विनियम 17.1 के क्रमांक (क) से (ड) तक सूचीबद्ध किये गये अनुसार घटक सम्मिलित होंगे।"

8. मूल विनियमों के विनियम 18 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 18 के द्वितीय परन्तुक में शब्दों "आयोग द्वारा" के पश्चात् तथा शब्दों "पृथक से किया जाएगा" से पूर्व शब्दों "इन विनियमों के विनियम 43 के अनुसार" स्थापित किया जाए।

9. मूल विनियमों के विनियम 21 में संशोधन

9.1 खण्ड (बारह) के अन्त में शब्द "और" को विलोपित किया जाए तथा खण्ड (तेरह) के अन्त में ";" के पश्चात् शब्द "और" स्थापित किया जाए।

9.2 मूल विनियमों के विनियम 21.2 के खण्ड (तेरह) के पश्चात् नवीन खण्ड (चौदह) निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"(चौदह) सह-जलावन (को-फायरिंग) हेतु बाओमास हथालन उपकरण तथा सुविधाओं के कारण होने वाला पूंजीगत व्यय।"

10. मूल विनियमों के विनियम 23 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 23.5 के पश्चात् नवीन विनियम, अर्थात्, 23.6 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"23.6 इस विनियम के विनियम 23.4 तथा 23.5 के प्रयोजन हेतु वास्तविक ऋण पर निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) तथा निषेचित (इन्फ्यूस्ड) मानदण्डिय ऋण पर विचार किया जाएगा।

11. मूल विनियमों के विनियम 25 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 25.1 के परन्तुक के पश्चात् एक नवीन परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“परन्तु यह और कि जहां उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली स्थापित की गई हो वहां इस विनियम में निर्दिष्ट किये गये अनुसार कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रारंभिक कलपुर्जों के मानदण्ड लागू होंगे।”

12. मूल विनियमों के विनियम 28 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 28.1 के खण्ड (एफ) के पश्चात् नवीन खण्ड (जी) निम्नानुसार जोड़ा जाये :

(जी) “ सह – जलावन (को-फायरिंग) हेतु बाओमास हथालन उपकरण तथा सुविधाओं के कारण होने वाला पूंजीगत व्यय।”

13. मूलविनियमों के विनियम 31में संशोधन

मूलविनियम के विनियम 31.4 के पश्चात् नवीन विनियम 31.5 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“31.5 उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अनुन्मुक्त देयता (अन डिस्चार्ज्ड लायबिलिटी), यदि कोई हो, को उक्त वर्ष के दौरान जब इसे उन्मुक्त किया गया हो, युक्तिसंगत जांच-पड़ताल के अध्यक्षीन अनुज्ञेय किया जाएगा।”

14. मूल विनियमों के विनियम 33 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 33.5 के पश्चात् नवीन विनियम 33.6 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“33.6 विद्युत-दर (टैरिफ) की अवधि के दौरान उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु किया गया कोई भी व्यय जैसा कि वह आयोग द्वारा अनुपूरक विद्युत-दर के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकार किया जाए, को इस विनियम के विनियम 33.1 में निर्दिष्ट की गई रीति के अनुसार सेवाकृत किया जाएगा।”

15. मूल विनियमों के विनियम 34 में संशोधन

15.1 मूल विनियमों के विनियम 34.2 के पश्चात् एक नवीन परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“परन्तु यह और कि उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण को छोड़ कर कार्य के मूल विस्तार क्षेत्र से आगे पृथक्कृत (कट ऑफ) तिथि के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण के बारे में पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र की वास्तविक ऋण निवेश-सीमा (पोर्टफोलियो) पर की जाएगी या फिर वास्तविक ऋण निवेश-सीमा (पोर्टफोलियो) की अनुपस्थिति में, विद्युत उत्पादन की भारित औसत दर पर समग्र रूप से 14% की उच्चतम सीमा के अध्यक्षीन विचार किया जाएगा।”

- 15.2 विनियम 34.2 के उपरोक्त कथित परन्तुक के पश्चात् एक नवीन विनियम 34.3 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

34.3 “उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण के बारे में पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना उक्त वर्ष के दौरान जब प्रचालन तिथि (ODe) घटित हो, में 350 आधार बिन्दु जोड़कर, 14% की उच्चतम सीमा के अध्यक्षीन वर्ष की अप्रैल माह की प्रथम दिनांक को एकल वर्ष ऋण दर की उपान्तिक लागत(marginal cost of lending rate) की आधार दर पर की जाएगी।”

16. मूल विनियमों के विनियम 36 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 36 के विनियम 36.4 के पश्चात् नवीन विनियम 36.4 क, निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

“36.4 क उत्सर्जन प्रणाली हेतु ब्याज दर उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के वास्तविक ऋण निवेश सीमा (पोर्टफोलियो) की भारित औसत दर होगी या वास्तविक ऋण निवेश-सीमा की अनुपस्थिति में विद्युत उत्पादन कम्पनी की भारित औसत ब्याज दर पर समग्र रूप से विचार किया जाएगा।”

17. मूल विनियमों के विनियम 37 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 37.9 के पश्चात् दो नवीन विनियम, अर्थात्, विनियम 37.10 तथा 37.11 निम्नानुसार जोड़े जाएं :

“37.10 जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र के कार्य की मूल विस्तार क्षेत्र की सीमा के भीतर उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली क्रियान्वित की जाती हो तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि एक समान हो वहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई का अवमूल्यन/अवक्षयण, उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए, की गणना इस विनियम के विनियम 37.1 से 37.9 के अनुसार की जाएगी।

37.11 किसी विद्यमान अथवा नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या उस की किसी इकाई हेतु उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली का अवमूल्यन/अवक्षयण जहां उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त हो, की गणना नियत किस्त पद्धति (स्ट्रेट लाइन मैथड) वार्षिक तौर पर 10 प्रतिशत के उपादेय मूल्य (सैल्वेज वैल्यू) के साथ प्रचालन तिथि से निम्न दर्शाई गई अवधि हेतु निम्नानुसार की जाएगी :

- क. यदि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि की स्थिति में 15 वर्षों या उससे कम अवधि हेतु प्रचालन में हो तो 25 वर्ष ; अथवा
- ख. यदि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी कोई इकाई उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि को 15 वर्ष से अधिक अवधि हेतु प्रचालन में हो तो विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई के अवशेष उपयोगी जीवनकाल में 15 वर्ष की अवधि को जोड़कर ; अथवा
- ग. यदि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई द्वारा 15 वर्ष उपयोगी जीवन कालपूर्ण कर लिया हो तो

18. मूल विनियमों के विनियम 38 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 38.1 के खण्ड क के पश्चात् नवीन विनियम, अर्थात्, खण्ड कक निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“कक. कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु :

- (एक) मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक के तत्संबंधी 30 दिवस के भण्डारण हेतु चूनापत्थर (लाइमस्टोन) या अभिकर्मक (रीएजन्ट) की लागत;
- (दो) मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक के तत्संबंधी विद्युत उत्पादन हेतु अभिकर्मक (रीएजन्ट) की लागत हेतु 30 दिवस का अग्रिम भुगतान ;
- (तीन) विद्युत के विक्रय हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभार के संबंध में 45 दिवस के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्री गणना मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक के आधार पर की जाएगी ;

(चार) उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के संबंध में एक माह हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय; और

(पांच) उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के संबंध में संधारण हेतु कलपुर्जे पर व्यय संचालन एवं संधारण के व्यय की 20 प्रतिशत की दरसे।”

19. मूल विनियमों के विनियम 40 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 40.2 के अन्तर्गत द्वितीय परन्तुक के प्रथम वाक्य के अंत में “पर्यावरण, वन ओर जल वायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विशिष्ट जल खपत के मानदण्डों पर विचार करते हुए” को अन्तःस्थापित किया जाए।

20 मूल विनियमों के विनियम 41 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 41 में विनियम 41.3 के पश्चात् नवीन विनियम 41.4 मय इसके परन्तुक के निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

“41.4 कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण इसके प्रचालन की तिथि की स्थिति में प्रचालन एवं संधारण व्यय स्वीकृत पूंजीगत व्यय (निर्माण के दौरान ब्याज तथा निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय को छोड़कर) का 2% होगा जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 3.5% की दर से वृद्धि की जाएगी :

परन्तु यह कि जिप्सम तथा अन्य उपोत्पादों (बाई-प्रोडक्ट्स) के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय को संचालन तथा संधारण व्ययों में से घटा दिया जाएगा।”

21. मूल विनियमों के विनियम 42 में संशोधन

21.1 मूल विनियमों के विनियम 42 के विद्यमान शीर्षक के स्थान पर शीर्षक “क्षमता प्रभारों, अनुपूरक क्षमता प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों की संगणना” स्थापित किया जाए।

21.2 विनियम 42 के विनियम 42.2 के अन्तर्गत सूत्र के पश्चात् परन्तुक में शब्दों “नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण” के स्थान पर शब्द “यथास्थिति, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण या उत्सर्जन प्रणाली की स्थापना” स्थापित किये जाएं।

21.3 विद्यमान विनियम 42.5 के स्थान पर नवीन विनियम 42.5 मय कथित विनियम के परन्तुक के निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

“42.5 किसी माह हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना निम्नसूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PAFM = 10000 \times \sum_{i=1}^N DCi \frac{1}{[N \times IC(100 - AUXn - AUXen)] \%}$$

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, जो सकल ऊर्जा उत्पादन का प्रतिशत है

AUXn = उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत है

DCi = औसत घोषित क्षमता (एक्स-बस मेगावाट में) अवधि के दौरान i वें दिवस हेतु अर्थात् माह अथवा वर्ष, यथा स्थिति, जैसा कि संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस की समाप्ति पश्चात् प्रमाणित किया गया हो

IC - विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N - अवधि के दौरान दिवस संख्या

टीप : DCi तथा IC में उन उत्पादन इकाईयों की क्षमता को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित न किया गया हो। संबंधित अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में परिवर्तन होने की दशा में, इसके औसत मूल्य का अनुप्रयोग किया जाएगा।”

22. मूल विनियमों में नवीन विनियम 42 क को जोड़ा जाए :

मूल विनियमों के विनियम 42 के पश्चात् एक नवीन विनियम, अर्थात् 42 क निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“42 क. कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की गणना तथा भुगतान :

- (1) किसी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली हेतु स्थाई लागत की गणना इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा इनकी वसूली मासिक आधार पर अनुपूरक क्षमता प्रभार के अन्तर्गत की जाएगी। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु भुगतान योग्य कुल अनुपूरक क्षमता प्रभारों को उसके हितग्राहियों के मध्य उनका प्रतिशत अंशदान या विद्युत उत्पादन केन्द्र की क्षमता के आवंटन के आधार पर परस्पर विभाजित किया जाएगा। अनुपूरक क्षमता प्रभार की वसूली वर्ष के दौरान दो खण्डों में की जाएगी, अर्थात् उच्च मांग मौसम (जिसकी अवधि तीन माह होगी) तथा निम्न

मांग मौसम (जिसकी अवधि वर्ष के अवशेष नौ माह होगी) तथा प्रत्येक मौसम के अन्तर्गत दो भागों में, अर्थात् माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार तथा माह के शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार, निम्नानुसार की जाएगी :

वर्ष हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार (SCCy) = उच्च मांग मौसम के तीन माह हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभारों का योग + निम्न मांग मौसम के नौ माह हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार का योग।

(2) किसी कलेण्डर माह हेतु ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को देय अनुपूरक क्षमता प्रभार की गणना निम्नसूत्र के अनुसार की जाएगी :

मह हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार (SCCm) = शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार (SCCp) + माह के शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार (SCCop), जहां

उच्च मांग मौसम :

$$SCC_{P1} = (0.20 \times AFC_e) \times (1/12) \times \left(\frac{PAFM_{p1}}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/12)$$

$$SCC_{P2} = \{ (0.20 \times AFC_e) \times (1/6) \times \left(\frac{PAFM_{p2}}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/6) \} - SCC_{P1}$$

$$SCC_{P3} = \{ (0.20 \times AFC_e) \times (1/4) \times \left(\frac{PAFM_{p3}}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/4) \} - (SCC_{P1} + SCC_{P2}) \}$$

$$SCC_{OP1} = (0.80 \times AFC_e) \times (1/12) \times \left(\frac{PAFM_{op1}}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/12)$$

$$SCC_{OP2} = \{ (0.80 \times AFC_e) \times (1/6) \times \left(\frac{PAFM_{op2}}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/6) \} - SCC_{P1}$$

$$SCC_{OP3} = \{ (0.80 \times AFC_e) \times (1/4) \times \left(\frac{PAFM_{op3}}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/4) \} - (SCC_{P1} + SCC_{P2}) \}$$

न्यूनमांगमौसम :

$$SCC_{P1} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/12) \times \left(\frac{PAFMp1}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/12)\}$$

$$SCC_{P2} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/6) \times \left(\frac{PAFMp2}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/6)\} - CCP_1$$

$$SCC_{P3} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/4) \times \left(\frac{PAFMp3}{NAPAF}\right)\} \text{की उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/4)\} - (SCCP_1 + SCCp2)$$

$$SCC_{P4} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/3) \times \left(\frac{PAFMp4}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/3)\} - (SCCP_1 + SCCp2 + SCCp3)$$

$$SCC_{P5} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (5/12) \times \left(\frac{PAFMp5}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (5/12)\} - (SCCP_1 + SCCp2 + SCCp3 + SCCp4)$$

$$SCC_{P6} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/2) \times \left(\frac{PAFMp6}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/2)\} - (SCCP_1 + SCCp2 + SCCp3 + SCCp4 + SCCp5)$$

$$SCC_{P7} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (7/12) \times \left(\frac{PAFMp7}{NAPAF}\right)\} \text{की उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (7/12)\} - (SCCP_1 + SCCp2 + SCCp3 + SCCp4 + \\ SCCp5 + SCCp6)$$

$$SCC_{P8} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (2/3) \times \left(\frac{PAFMp8}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (2/3)\} - (SCCP_1 + SCCp2 + SCCp3 + SCCp4 + SCCp5 + \\ SCCp6 + SCCp7)$$

$$SCC_{P9} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (3/4) \times \left(\frac{PAFMp9}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (3/4)\} - (SCCP_1 + SCCp2 + SCCp3 + SCCp4 + SCCp5 + \\ SCCp6 + SCCp7 + SCCp8)$$

$$SCC_{op1} = (0.80 \times AFC_e) \times (1/12) \times \left(\frac{PAFMop1}{NAPAF}\right) \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/12)$$

$$SCC_{op2} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (1/6) \times \left(\frac{PAFMop2}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/6)\} - SCC_{op1}$$

$$SCC_{op3} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (1/4) \times \left(\frac{PAFMop3}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/4)\} - (SCC_{op1} + SCC_{op2})$$

$$SCC_{op4} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (1/3) \times \left(\frac{PAFMop4}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन}$$

$$(0.80 \times AFC_e) \times (1/3) - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3})$$

$$SCC_{op5} = \left\{ (0.80 \times AFC_e) \times (5/12) \times \left(\frac{PAFMop5}{NAPAF} \right) \text{ उच्चतम सीमा के } \right. \\ \left. \text{अध्यधीन} (0.80 \times AFC_e) \times (5/12) \right\} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4})$$

$$SCC_{op6} = \left\{ (0.80 \times AFC_e) \times (1/2) \times \left(\frac{PAFMop6}{NAPAF} \right) \text{ उच्चतम सीमा के अध्यधीन } \right. \\ \left. (0.80 \times AFC_e) \times (1/2) \right\} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5})$$

$$SCC_{op7} = \left\{ (0.80 \times AFC_e) \times (7/12) \times \left(\frac{PAFMop7}{NAPAF} \right) \text{ उच्चतम सीमा के अध्यधीन } \right. \\ \left. (0.80 \times AFC_e) \times (7/12) \right\} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + \\ SCC_{op5} + SCC_{op6})$$

$$SCC_{op8} = \left\{ (0.80 \times AFC_e) \times (2/3) \times \left(\frac{PAFMop8}{NAPAF} \right) \text{ उच्चतम सीमा के अध्यधीन } \right. \\ \left. (0.80 \times AFC_e) \times (2/3) \right\} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + \\ SCC_{op5} + SCC_{op6} + SCC_{op7})$$

$$SCC_{op9} = \left\{ (0.80 \times AFC_e) \times (3/4) \times \left(\frac{PAFMop9}{NAPAF} \right) \text{ उच्चतम सीमा के } \right. \\ \left. \text{अध्यधीन} (0.80 \times AFC_e) \times \left(\frac{3}{4} \right) \right\} - \\ (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5} + SCC_{op6} + SCC_{op7} + SCC_{op8})$$

परन्तु ऐसी स्थिति में जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी कोई इकाई जो नवीनीकरण अथवा आधुनिकीकरण के कारण बन्द (शट डाउन) हो वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी को केवल उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली से संबद्ध संचालन एवं संधारण व्ययों तथा ऋण पर ब्याज की वसूली किये जाने हेतु अनुज्ञेय किया जायेगा।

जहां,

SCC_m = माह हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार ;

SCC_p = माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता क्षमता प्रभार ;

SCC_{op} = माह के शीर्ष-बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार ;

SCC_{pn} = किसी विशिष्ट मौसम के 'n' वें माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार ;

SCC_{opn} = किसी विशिष्ट मौसम के 'n' वें माह के शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार ;

AFC_e = उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की वार्षिक स्थाई लागत ;

- PAFMpn = किसी मौसम में 'n' वें माह के अन्त तक शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के दौरान प्राप्त किया गया संयन्त्र उपलब्धता कारक ;
- PAFMopn = किसी मौसम में 'n' वें माह के अन्त तक शीर्ष-बाह्य (अव्यस्ततम) घंटों के दौरान प्राप्त किया गया संयन्त्र उपलब्धता कारक ;
- NAPAF = मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक अनुपूरक

- (3) अधोनिष्पति (अण्डर-रिकवरी) या फिर अधिनिष्पति (ओवर-रिकवरी) के फलस्वरूप अनुपूरक क्षमता प्रभार की किसी अधोवसूली अथवा अधिवसूली बनाम मौसम (यथास्थिति उच्चमांग मौसम अथवा न्यूनमांग मौसम) को शीर्ष तथा शीर्ष बाह्य घंटों में मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक(NAPAF) की अधोनिष्पति अथवा अधिनिष्पति के साथ बनाम अन्य मौसम की शीर्ष (व्यस्ततम) तथा शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) में 'NAPAF' से समायोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु मौसम की अवधि के अन्तर्गत 'NAPAF' पर आधारित व्युत्पादित संचयी शीर्षबाह्य घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की वसूली में पाई गई किसी कमी को संयन्त्र उपलब्धता कारक की अधिनिष्पति द्वारा, यदि कोई हो, तथा उक्त मौसम में संचयी शीर्ष घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की अनुवर्ती काल्पनिक वसूली द्वारा प्रतिसन्तुलित (ऑफसेट) किया जाना अनुज्ञेय किया जाएगा :

परन्तु आगे यह कि मौसम की अवधि के अन्तर्गत 'NAPAF' पर आधारित व्युत्पादित संचयी शीर्ष घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की वसूली में पाई गई किसी कमी का संयन्त्र उपलब्धता कारक में पाई गई किसी अधिनिष्पति, यदि कोई हो, तथा उक्त मौसम में संचयी शीर्ष घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की अनुवर्ती काल्पनिक अधिवसूली द्वारा प्रतिसन्तुलित किया जाना अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

अनुपूरक क्षमता प्रभार के प्रयोजन हेतु माह के दौरान शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों तथा शीर्ष-बाह्य (अव्यस्ततम) घंटों हेतु मानदण्डीय संयन्त्र उपलब्धता कारक और शीर्ष (व्यस्ततम) एवं शीर्ष बाह्य (अव्यस्ततम) घंटों पर विचार इन विनियमों के विनियम 42 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट रीति अनुसार किया जाएगा। माह हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना इन विनियमों के विनियम 42.5 के अनुसार की जाएगी।

23. मूल विनियमों के विनियम 43 में संशोधन

23.1 मूल विनियमों के विनियम 43 के शीर्षक के अन्त में शब्दों "तथा कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु अनुपूरक ऊर्जा प्रभार" को जोड़ा जाए।

23.2 मूल विनियमों के विनियम 43.1 के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात् खण्ड (क) को निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"43.1 (क) उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों में सहायक ऊर्जा खपत तथा अभिकर्मक (रिएजेन्ट) खपत की लागत के कारण विभेदक (डिफरेंशियल) ऊर्जा प्रभार सम्मिलित किये जाएंगे तथा इनका भुगतान ऐसे प्रत्येक लाभार्थी को प्रदाय की जाने वाली अनुसूचित ऊर्जा हेतु कलेण्डर माह के दौरान एक्स-ऊर्जा संयन्त्र आधार पर, माह हेतु अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर पर किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कम्पनी को माह हेतु देय कुल अनुपूरक ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होगा:

अनुपूरक ऊर्जा प्रभार = (अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर रूपये प्रति किलो वाट घंटे में) x {माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस), किलोवाट घंटे में}"

23.3 मूल विनियमों के विनियम 43.2 में शब्दों "ऊर्जा प्रभार दर, (ECR)" के पश्चात् शब्दों "तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर" को जोड़ा जाए।

23.4. मूल विनियमों के विनियम 43.2 के पश्चात् नवीन उप-खण्ड (क) निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

"(क) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर :

$$\text{टनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर (Supplementary ECR)} = (\Delta\text{ECR}) + \{ \text{SRC} \times \text{LPR} / 10 \} / \{ 100 - (\text{AUXn}) + \text{AUXen} \}$$

(ΔECR) = ($\text{AUXn} + \text{AUXen}$) के बराबर उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के साथ पुनरीक्षित सहायक ऊर्जा खपत से युक्त ऊर्जा प्रभार दर (ECR) और मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत से युक्त ऊर्जा प्रभार जैसा कि इसे इन विनियमों में निर्दिष्ट तथा पुनरीक्षित किया गया है, के मध्य अन्तर ;

SRC = पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के कारण विशिष्ट अभिकर्मक (रिएजन्ट) खपत (ग्राम प्रति किलोवाट घंटे में)

LPR =उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु अभिकर्मक का भारित औसत आगमित मूल्य (रूपये/किलोग्राम में)

24. मूल विनियमों के विनियम 44 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 44.1 में शब्दों ताप विद्युत केन्द्र के "पश्चात् शब्दों" ऊर्जा प्रभार में" के स्थान पर शब्दों "ऊर्जा प्रभारों तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों" को स्थापित किया जाए।

25. मूल विनियमों के विनियम 46 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 46 में शब्दों "केन्द्रीय आयोग द्वारा पृथक से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार" के स्थान पर शब्द "इन विनियमों के विनियम 49 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार" अन्तःस्थापित किये जाएं।

26. मूल विनियमों के विनियम 49 में संशोधन

26.1 मूल विनियमों के विनियम 49.1 में शब्दों "ऊर्जा प्रभारों" के पश्चात् शब्द "अनुपूरक क्षमता प्रभार, अनुपूरक ऊर्जा प्रभार" अन्तःस्थापित किये जाएं।

26.2 मूल विनियमों के विनियम 49.3 के उप-खण्ड (ड) के पश्चात् उप-खण्ड (च) निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

"(च) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली (AUXen) हेतु सहायक ऊर्जा खपत के मानदण्ड:

तकनीक का नाम	AUXen (सकल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में)
(1) सल्फर डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने हेतु	
क) नमी युक्त चूना पत्थर आधारित FGD प्रणाली (बिना गैस से लेकर गैस हीटर तक)	1.0%
ख) शुष्क चूना छिड़काव या चूना छिड़काव (लाईमस्प्रै ड्रायर) या अर्द्ध-शुष्क FGD प्रणाली	1.0%
ग) शुष्क शोषक अन्तःक्षेपण प्रणाली(Dry Sorbent injection system) (सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग द्वारा)	शून्य
घ) CBFC विद्युत संयन्त्र हेतु (फर्नेस अन्तःक्षेपण)	शून्य
ड) समुद्र जल पर आधारित प्रणाली (गैस हीटर की गैस के बिना)	0.7%
(2) नाइट्रोजन के आक्साइड के उत्सर्जन को कम	

करने हेतु	
क) चयनात्मक गैर-उत्सर्जक (non-catalytic) न्यूनीकरण प्रणाली	शून्य
ख) चयनात्मक उत्सर्जक (catalytic) न्यूनीकरण प्रणाली	0.2%

परन्तु यह कि जहां प्रौद्योगिकी "गैस से गैसहीटर" के साथ स्थापित की जाती है। वहां उपरोक्त विनिर्दिष्ट AUXen में सकल विद्युत उत्पादन के 0.3% तक की वृद्धि की जाएगी।"

- 26.3 मूल विनियमों के विनियम 49 के खण्ड (च) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात् खण्ड (छ) निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"(छ) अभिकर्मक (रिएजेंट) की खपत हेतु मानदण्ड : (1) सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने हेतु विशिष्ट अभिकर्मक (रिएजेंट) की मानदण्डीय खपत निम्नानुसार होगी :

(क) नमी युक्त चूना पत्थर (लाईम स्टोन) आधारित फ्लूगैसडि-सल्फीकरण (FGD) प्रणाली हेतु: विशिष्ट चूनापत्थर (लाईम स्टोन) खपत (ग्राम)/किलोवाट घंटे) की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाएगी :

$$[K \times SHR \times S/CVPP] \times [85/LP]$$

जहां

S = गंधक की मात्रा (सल्फर कानटेंट), प्रतिशत में,

LP = चूनापत्थर (लाईमस्टोन) की शुद्धता, प्रतिशत में,

SHR = सकल स्टेशन उष्मा दर, किलो कैलोरी प्रतिकिलोवाट घंटे में

CVPP = कोयले का भारित औसत सकल उष्मीय मान(calorific value), जैसा कि वह प्राप्त किया गया हो, किलो कैलोरी प्रतिकिलोग्राम में, कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु में से 85 किलोकैलोरी/किलोग्राम घटाकर जो विद्युत उत्पादन केन्द्र पर भण्डारण के दौरान भिन्नता(Variation) के कारण हो सकता है :

परन्तु यह कि K का मूल्य इकाईयों द्वारा 100/200 mg/Nm³ या (26.8 x रूपांकन SO₂ निष्कासन दक्षता/73%) सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन

मानदण्ड के अनुपालन हेतु (35.2 x रूपांकन SO₂ नष्कासन दक्षता/96%) के बराबर होगा ताकि इकाईयों द्वारा 600 mg/Nm³ सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन का मानदण्ड प्राप्त किया जा सके।

परन्तु आगे यह और कि चूनापत्थर शुद्धता (लाइम स्टोन प्यूरिटी) 85% से कम न होगी।

- (ख) चूना छिड़काव शोषित्र (लाइम स्प्रे ड्रायर) या अर्द्ध-शुष्क फ्लूगैसिडि-सल्फीकरण (FGD) प्रणाली : विशिष्ट चूना खपत की गणना चूने की न्यूनतम शुद्धता (LP) जैसा कि वह 90% पर हो, या फिर इससे अधिक सूत्र [6x90/LP] के अनुप्रयोग द्वारा ग्राम प्रतिकिलोवाट घंटे के आधार पर की जाएगी।
- (ग) शुष्क शोषक अन्तःक्षेपण प्रणाली (Dry Sorbent Injection System) (सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग द्वारा) : सोडियम बाइकार्बोनेट की विशिष्ट खपत 100% शुद्धता पर 12 ग्राम प्रति किलोवाट घंटे होगी।
- (घ) CBFC प्रौद्योगिक (फर्नेस अन्तःक्षेपण) आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु : CBFC आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र (फर्नेस अन्तःक्षेपण) हेतु विशिष्ट चूनापत्थर (लाइमस्टोन) खपत की गणना निम्नसूत्र के आधार पर की जाएगी :

$$[62.9 \times S \times \text{SHR}/\text{CVPF}] \times [85/\text{LP}]$$

जहां,

S = गंधक (सल्फर) की मात्रा प्रतिशत में,

LP = चूनापत्थर(लाइम स्टोन) शुद्धता, प्रतिशत में,

SHR = सकल स्टेशन उष्मा दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवरमें

CVPF = कोयले का भारित औसत सकल उष्मीय मान (calorific value), जैसा कि वह प्राप्त किया गया हो, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में, कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु में से 85 किलोकैलोरी/ किलोग्राम घटाकर जो विद्युत उत्पादन केन्द्र पर भण्डारण के दौरान भिन्नता (Variation) के कारण हो सकता है :

- (ड) समुद्री जल आधारित फ्लूगैसडि-सल्फीकरण (FGD) प्रणाली हेतु : समुद्री जल आधारित फ्लूगैसडिसल्फीकरण (FGD) प्रणाली हेतु उपयोग किये जाने वाले अभिकर्मक (रिएजेन्ट) की मात्रा शून्य होगी।
- (2) नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करने हेतु विभिन्न तकनीकों हेतु विशिष्ट अभिकर्मक (रिएजेन्ट) की मानदण्डीय खपत निम्नानुसार होगी :
- (क) चयनात्मक गैर-उत्सर्जक (non-catalytic) न्यूनीकरण प्रणाली हेतु: विशिष्ट यूरिया खपत 100% यूरिया की शुद्धता पर 1.2 ग्राम प्रति किलोवाट घंटे होगी।
- (ख) चयनात्मक उत्सर्जक न्यूनीकरण (SCR) प्रणाली हेतु : चयनात्मक उत्सर्जन कन्यूनीकरणप्रणाली (SCR System) हेतु विशिष्ट अमोनिया खपत 100% अमोनिया शुद्धता पर 0.6 ग्राम प्रति किलोवाट घंटे होगी।”

27. मूल विनियमों के विनियम 65 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 65.2 के परन्तुक के पश्चात् नवीन विनियम 65.3 निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

“65.3 उड़न राख (फ्लाइंग एश) की उपयोगिता तथा परिवहन हेतु व्ययों का भुगतान भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जल वायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक S.O. 5481 (E) दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के एवं समय-समय पर जारी संशोधन अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा उड़न राख की उपयोगिता एवं परिवहन के बारे में पृथक लेखे/अभिलेख संधारित किये जाएंगे तथा इनका मिलान वार्षिक अंकितलेखों के साथ किया जाएगा जिसे वैधानिक अंककक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा इन व्ययों को पूर्ण विवरणों के साथ प्रारूप TPS 19(A) में मय सहायकप्रलेखों के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रापक को उपलब्ध करने होंगे।

28. मूल विनियमों के परिशिष्ट-1 के भाग-1 में संशोधन

- 28.1 मूल विनियमों के परिशिष्ट-1 के भाग-1 के प्रारूप 15 के पश्चात् एक नवीन प्रारूप नामतः, प्रारूप 15-क स्थापित किया जाए।

28.2 मूल विनियमों के परिशिष्ट-1 के भाग-1 के प्रारूप 19 के पश्चात् एक नवीन प्रारूप 19-क स्थापित किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

टीप : (i) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, 2020 का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 28 फरवरी, 2020 को किया गया था।

(ii) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020, {एआरजी-26(IV)(i) वर्ष 2023} का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी, 2023 को किया गया था।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, 2020, में द्वितीय संशोधन के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा।

परिशिष्ट-1

भाग
प्ररूप-15 क

अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर की गणना हेतु अभिकर्मक (Reagent) के विवरण

याचिका कर्ता का नाम _____

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम _____

सरल क्रमांक	माह	इकाई(UNIT)	पूर्व के	पूर्व के	पूर्व के
			तृतीय माह हेतु (प्रचालन तिथि से)	द्वितीय माह हेतु (प्रचालन तिथि से)	प्रथम माह हेतु (प्रचालन तिथि से)
1	अभिकर्मक की प्रारंभिक मात्रा	(मीट्रिक टन)			
2	चूनापत्थर (लाइमस्टोन) प्रदाय कम्पनी द्वारा प्रदान की गई अभिकर्मक(Reagent) की मात्रा	(मीट्रिक टन)			
3	चूनापत्थर (लाइमस्टोन) या अभिकर्मक (Reagent) प्रदाय कम्पनी द्वारा प्रदत्त मात्रा का समायोजन (+/-)	(मीट्रिक टन)			
4	प्राप्त अभिकर्मक(Reagent)की शुद्ध मात्रा (1 ± 2)	(मीट्रिक टन)			
5	अभिकर्मक प्रदाय कम्पनी द्वारा प्रभारित की गई राशि	(रूपये)			
6	कम्पनी द्वारा अभिकर्मक प्रदाय हेतु प्रभारित की गई राशि का समायोजन (+/-)	(रूपये)			
7	प्रभारित की गई कुल राशि (4 ± 5)	(रूपये)			
8	रेलवे/पोत/सड़क परिवहन द्वारा प्रभारित किये गये परिवहन प्रभार	(रूपये)			
9	रेलवे/परिवहन कम्पनी द्वारा प्रभारित की गई राशि का समायोजन (+/-)	(रूपये)			
10	विलम्ब शुल्क(Demurrage Charges), यदि कोई लागू हो	(रूपये)			
11	कुल परिवहन प्रभार(7 ± -8 - 9)	(रूपये)			
12	प्रदत्त अभिकर्मक (Reagent) हेतु कुल प्रभारित की गई राशि, परिवहन प्रभारों को सम्मिलित करते हुए (6+10)	(रूपये)			
13	माह के दौरान अभिकर्मक (Reagent) की भारित औसत लागत	(रूपये/ मीट्रिक टन)			
13	माह के दौरान प्राप्त किये गये अभिकर्मक की शुद्धता	(%)			

Bhopal, the 21th February 2023

No. 394/MPERC/2023: In exercise of powers conferred under Section 181(2) (zd) read with Section 61 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) thereof and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2020, (Revision-IV), [(RG-26 (IV) of 2020)]” (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely.-

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF GENERATION TARIFF) REGULATIONS, 2020 {ARG-26 (IV) (ii) OF 2023}.

1. Short Title and Commencement.

- 1.1. These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Generation Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2020 {ARG-26 (IV) (ii) of 2023}.
- 1.2. These Regulations shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette.

2. Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations.

- 2.1. A new clause, namely, clause (5a) shall be inserted after clause (5) of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

“(5a) ‘Auxiliary energy consumption for emission control system 'or' AUXe' in relation to a period in case of coal based thermal generating station means the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the emission control system of the coal based thermal generating station;”

2.2. A new clause, namely, clause (19a) shall be inserted after clause (19) of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

“(19a) **“Emission Control System”** means a set of equipment or devices required to be implemented in the coal based thermal generating station to meet the revised emission standards;”

2.3 In clause (42) of Regulation 3 of the Principal Regulations, the words “normative auxiliary energy consumption” occurring at the end shall be substituted by the words “normative auxiliary energy consumption and normative auxiliary energy consumption for emission control system as per these regulations”.

2.4 Clause (43) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(43) **‘Plant Load Factor’ or ‘(PLF)’** in relation to a thermal generating station or unit thereof for a given period means the total sent out energy corresponding to scheduled generation during the period, expressed as a percentage of sent out energy corresponding to installed capacity in that period and shall be computed in accordance with the following formula:

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^N SG_i / \{N \times IC \times (100 - AUX_n - AUX_{en})\} \%$$

Where,

IC = Installed Capacity of the generating station or unit in MW,

SG_i = Scheduled Generation in MW for the ith time block of the period,

N = Number of time blocks during the period,

AUX_n = Normative Aux. Energy Consumption as a percentage of gross energy generation, and

AUX_{en} = Normative Auxiliary Energy Consumption for emission control system as a percentage of gross energy generation, wherever applicable.

2.5 Following is added at the end of Clause (56) of Regulation 3 of the Principal Regulations “or co-firing of biomass with coal;”

3. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations.

A new clause, namely, clause 4.1(3) shall be inserted after clause 4.1(2) (xi) of Regulation 4 of the Principal Regulations as under:

(3) “Date of Operation’ or ‘ODe’ in respect of an emission control system means the date of putting the emission control system into use after meeting all applicable technical and environmental standards, certified through the Management Certificate duly signed by an authorised person, not below the level of Director of the generating company.”

4. Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations.

4.1. In Regulation 5.1 of the Principal Regulations, the words “including emission control system, wherever applicable,” shall be inserted in first line after the words “generating station” and before the words “may be”.

4.2. In Regulation 5.5 of the Principal Regulations, the words “on submission of the completion certificate by the Board of the generating company” shall be substituted by the words “in accordance with the application filed under 2nd proviso to Regulation 6.1 of these Regulations.”.

5. Amendment to Regulation 6 of the Principal Regulations.

A new proviso, namely, second proviso shall be added under Regulation 6.1 of the Principal Regulations as under:

“Provided also that the generating company shall file an application for determination of supplementary tariff for the emission control system installed in the coal based thermal generating station in accordance with these regulations not later than 60 days from the date of operation of such emission control system.”

6. Amendment to Regulation 16 of the Principal Regulations.

In Regulation 16.2 of the Principal Regulations, the words “capacity charges for additional capitalization and energy charges” shall be substituted with the words “Supplementary tariff consisting of supplementary capacity charges and energy charges ”.

7. Amendment to Regulation 17 of the Principal Regulations.

A new Regulation, namely Regulation 17.2 shall be added after proviso of

Regulation 17.1 of the Principal Regulations as under:

“17.2 Supplementary Capacity Charges: Supplementary capacity charges shall be derived on the basis of the Annual Fixed Cost for emission control system (AFCE). The Annual Fixed Cost for the emission control system shall consist of the components as listed at (a) to (e) of the Regulation 17.1 of this Regulation.”

8. Amendment to Regulation 18 of the Principal Regulations.

The words “as per Regulation 43 of these regulations” shall be inserted at the end of the second proviso to Regulation 18 of the Principal Regulations.

9. Amendment to Regulation 21 of the Principal Regulations.

9.1 Word “ and” deleted from end of the clause (xii) and the word “and” inserted at the end of the clause (xiii) after “ ; ”.

9.2 A new clause (xiv) shall be added after clause (xiii) of Regulation 21.2 of the Principal Regulations as under:

“(xiv) “Capital expenditure on account of biomass handling equipment and facilities, for co-firing.”

10. Amendment to Regulation 23 of the Principal Regulations.

A new Regulation, namely, Regulation 23.6 shall be added after Regulation 23.5 of Regulation as under:

“23.6 For the purpose of Regulation 23.4 and 23.5 of this Regulation, IDC on actual loan and normative loan infused shall be considered.

11. Amendment to Regulation 25 of the Principal Regulations.

A new proviso shall be added after existing proviso of the Regulation 25.1, of the Principal Regulations as under:

“provided also that where the emission control system is installed, the norms of initial spares specified in this Regulation for coal based thermal generating station shall apply.”

12. Amendment to Regulation 28 of the Principal Regulations.

A new clause (g) shall be added after clause (f) of Regulation 28.1 of the Principal Regulations as under:

“(g) “Expenditure on account of biomass handling equipment and facilities, for co-firing.”

13. Amendment to Regulation 31 of the Principal Regulations.

A new Regulation 31.5 shall be added after Regulation 31.4 of the Principal Regulations as under:

“**31.5** Un-discharged liability, if any, on account of emission control system shall be allowed as additional capitalization during the year it is discharged, subject to prudence check.”

14. Amendment to Regulation 33 of the Principal Regulations.

A new Regulation 33.6 shall be added after Regulation 33.5 of the Principal Regulations as under:

“**33.6** Any expenditure incurred for the emission control system during the tariff period as may be admitted by the Commission as additional capital expenditure for determination of supplementary tariff, shall be serviced in the manner specified in Regulation 33.1 of this Regulation.”

15. Amendment to Regulation 34 of the Principal Regulations.

15.1. A new proviso, after Regulation 34.2 shall be added as under:

“Provided also that return on equity in respect of additional capitalization after cut-off date beyond the original scope, excluding additional capitalization on account of emission control system, shall be computed at the weighted average rate of interest on actual loan portfolio of the generating station or in the absence of actual loan portfolio of the generating station, the weighted average rate of interest of the generating company, as a whole shall be considered, subject to ceiling of 14%”.

15.2. A new Regulation 34.3, after aforesaid proviso of Regulation 34.2 shall be added as under:

34.3 “The return on equity in respect of additional capitalization on account of emission control system shall be computed at the base rate of one year marginal cost of lending rate (MCLR) of the State Bank of India as on 1st April of the year in which the date of operation (ODe) occurs plus 350 basis point, subject to ceiling of 14%.”

16. Amendment to Regulation 36 of the Principal Regulations.

A new Regulation 36.4A shall be inserted after Regulation 36.4 of Regulation 36 of the Principal Regulations as under:

“36.4A The rate of interest on loan for emission control system shall be the weighted average rate of interest of actual loan portfolio of the emission control system or in the absence of actual loan portfolio, the weighted average rate of interest of the generating company as a whole shall be considered.”

17. Amendment to Regulation 37 of the Principal Regulations.

Two new Regulations namely, Regulation 37.10 and 37.11 shall be added after Regulation 37.9 of the Principal Regulations asunder:

“37.10 Where the emission control system is implemented within the original scope of the generating station and the date of commercial operation of the generating station or unit thereof and the date of operation of the emission control system are the same, depreciation of the generating station or unit thereof including the emission control system shall be computed in accordance with Regulation 37.1 to 37.9 of this Regulation.

37.11 Depreciation of the emission control system of an existing or a new generating station or unit thereof where the date of operation of the emission control system is subsequent to the date of commercial operation of the generating station or unit thereof, shall be computed annually from the date of operation of such emission control system based on straight line method, with salvage value of 10%, over a period of

- a. twenty five years, in case the generating station or unit thereof is in operation for fifteen years or less as on the date of operation of the emission control system; or
- b. balance useful life of the generating station or unit thereof plus fifteen years, in case the generating station or unit thereof is in operation for more than fifteen years as on the date of operation of the emission control system; or
- c. Fifteen years in case the generating station or unit thereof has completed its useful life.”.

18. Amendment to Regulation 38 of the Principal Regulations.

A new Regulation namely, clause AA shall be inserted after clause A Of Regulation 38.1 of the Principal Regulations as under:

“AA For emission control system of coal based thermal generating stations:

- (i) Cost of limestone or reagent towards stock for 30 days corresponding to the normative annual plant availability factor;
- (ii) Advance payment for 30 days towards cost of reagent for generation corresponding to the normative annual plant availability factor;
- (iii) Receivables equivalent to 45 days of supplementary capacity charge and supplementary energy charge for sale of electricity calculated on the normative annual plant availability factor;
- (iv) Operation and maintenance expenses in respect of emission control system for one month; and
- (v) Maintenance spares @ 20% of operation and maintenance expenses in respect of emission control system.”

19. Amendment to Regulation 40 of the Principal Regulations.

At the end of the first sentence of second proviso under Regulation 40.2 of the Principal Regulations, the words “and considering the norms of specific water consumption notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change” shall be added.

20. Amendment to Regulation 41 of the Principal Regulations.

After Regulation 41.3, a new Regulation 41.4 in Regulation 41 of the Principal Regulations along with its proviso shall be added as under as under:

“41.4 The operation and maintenance expenses on account of emission control system in coal based thermal generating station shall be 2% of the admitted capital expenditure (excluding IDC and IEDC) as on its date of operation, which shall be escalated annually @3.5% during the tariff period ending on 31st March 2024:

Provided that income generated from sale of gypsum or other by-products shall be reduced from the operation and maintenance expenses.”

21. Amendment to Regulation 42 of the Principal Regulations

21.1. The title of Regulation 42 of the Principal Regulations shall be substituted as
 “Computation of Capacity Charges, Supplementary Capacity Charges, Energy
 Charges and Supplementary Energy Charges”

21.2. In the proviso under the formula under Regulation 42.2 of Regulation 42 of the
 Principal Regulations, the words “or installation of emission control system, as
 the case may be” shall be inserted after the words “Renovation and
 Modernisation”.

21.3. Regulation 42.5 along with the proviso of the said Regulation shall be substituted
 as under:-

“42.5 The Plant Availability Factor for a Month (‘PAFM’) shall be computed
 in accordance with the following formula:

$$PAFM = 10000 \times \sum_{i=1}^N \frac{DC_i}{[N \times IC \times (100 - AUX_n - AUX_{en})] \%}$$

Where,

AUX_n = Normative auxiliary energy consumption in percentage of gross energy generation.

AUX_{en} = Normative auxiliary energy consumption for emission control system.

DC_i = Average declared capacity (in ex-bus MW), for the i^{th} day of the period i.e. the month
 or the year as the case may be, as certified by the concerned load dispatch centre after
 the day is over.

IC = Installed Capacity (in MW) of the generating station

N = Number of days during the period

Note: DC_i and IC shall exclude the capacity of generating units not declared under commercial
 operation. In case of a change in IC during the concerned period, its average value shall
 be taken.”

22. New Regulation 42A to be added in the Principal Regulations.

A new regulation, namely, Regulation 42A shall be added after Regulation 42 of
 the Principal Regulations as under:

**“42A. Computation and Payment of Supplementary Capacity Charge for Coal based
 Thermal Generating Stations:**

- (1) The fixed cost of emission control system shall be computed on annual basis based on the norms specified under these regulations and recovered on monthly basis under supplementary capacity charge. The total supplementary capacity charge payable for a generating station shall be shared by its beneficiaries as per their respective percentage share or allocation in the capacity of the generating station. The supplementary capacity charge shall be recovered under two segments of the year, i.e. High Demand Season (period of three months) and Low Demand Season (period of remaining nine months), and within each season in two parts viz., Supplementary Capacity Charge for Peak Hours of the month and Supplementary Capacity Charge for Off-Peak Hours of the month as follows:

Supplementary Capacity Charge for the Year (SCCy) =

Sum of Supplementary Capacity Charge for three months of High Demand Season + Sum of Supplementary Capacity Charge for nine months of Low Demand Season.

- (2) The Supplementary Capacity Charge payable to a thermal generating station for a calendar month shall be calculated in accordance with the following formulae:

Supplementary Capacity Charge for the Month (SCCm) =

Supplementary Capacity Charge for Peak Hours of the Month (SCCp) +
Supplementary Capacity Charge for Off-Peak Hours of the Month (SCCOp)

Where,

High Demand Season:

$$SCCp_1 = (0.20 \times AFCe) \times (1/12) \times (PAFMp_1 / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (1/12)$$

$$SCCp_2 = \{(0.20 \times AFCe) \times (1/6) \times (PAFMp_2 / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (1/6)\} - SCCp_1$$

$$SCCp_3 = \{(0.20 \times AFCe) \times (1/4) \times (PAFMp_3 / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (1/4)\} - (SCCp_1 + SCCp_2)$$

$$SCCOp_1 = \{(0.80 \times AFCe) \times (1/12) \times (PAFMop_1 / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (1/12)\}$$

$$SCC_{op2} = \{(0.80 \times AFCe) \times (1/6) \times (PAFM_{op2} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (1/6)\} - SCC_{op1}$$

$$SCC_{op3} = \{(0.80 \times AFCe) \times (1/4) \times (PAFM_{op3} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (1/4)\} - (SCC_{op1} + SCC_{op2})$$

Low Demand Season:

$$SCC_{p1} = \{(0.20 \times AFCe) \times (1/12) \times (PAFM_{p1} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (1/12)\}$$

$$SCC_{p2} = \{(0.20 \times AFCe) \times (1/6) \times (PAFM_{p2} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (1/6)\} - SCC_{p1}$$

$$SCC_{p3} = \{(0.20 \times AFCe) \times (1/4) \times (PAFM_{p3} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (1/4)\} - (SCC_{p1} + SCC_{p2})$$

$$SCC_{p4} = \{(0.20 \times AFCe) \times (1/3) \times (PAFM_{p4} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (1/3)\} - (SCC_{p1} + SCC_{p2} + SCC_{p3})$$

$$SCC_{p5} = \{(0.20 \times AFCe) \times (5/12) \times (PAFM_{p5} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (5/12)\} - (SCC_{p1} + SCC_{p2} + SCC_{p3} + SCC_{p4})$$

$$SCC_{p6} = \{(0.20 \times AFCe) \times (1/2) \times (PAFM_{p6} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (1/2)\} - (SCC_{p1} + SCC_{p2} + SCC_{p3} + SCC_{p4} + SCC_{p5})$$

$$SCC_{p7} = \{(0.20 \times AFCe) \times (7/12) \times (PAFM_{p7} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (7/12)\} - (SCC_{p1} + SCC_{p2} + SCC_{p3} + SCC_{p4} + SCC_{p5} + SCC_{p6})$$

$$SCC_{p8} = \{(0.20 \times AFCe) \times (2/3) \times (PAFM_{p8} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (2/3)\} - (SCC_{p1} + SCC_{p2} + SCC_{p3} + SCC_{p4} + SCC_{p5} + SCC_{p6} + SCC_{p7})$$

$$SCC_{p9} = \{(0.20 \times AFCe) \times (3/4) \times (PAFM_{p9} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.20 \times AFCe) \times (3/4)\} - (SCC_{p1} + SCC_{p2} + SCC_{p3} + SCC_{p4} + SCC_{p5} + SCC_{p6} + SCC_{p7} + SCC_{p8})$$

$$SCC_{op1} = \{(0.80 \times AFCe) \times (1/12) \times (PAFM_{op1} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (1/12)\}$$

$$SCC_{op2} = \{(0.80 \times AFCe) \times (1/6) \times (PAFM_{op2} / NAPAF) \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (1/6)\} - SCC_{op1}$$

$$SCC_{op3} = \{(0.80 \times AFCe) \times (1/4) \times (PAFM_{op3} / NAPAF)\} \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (1/4) \} - (SCC_{op1} + SCC_{op2})$$

$$SCC_{op4} = \{(0.80 \times AFCe) \times (1/3) \times (PAFM_{op4} / NAPAF)\} \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (1/3) \} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3})$$

$$SCC_{op5} = \{(0.80 \times AFCe) \times (5/12) \times (PAFM_{op5} / NAPAF)\} \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (5/12) \} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4})$$

$$SCC_{op6} = \{(0.80 \times AFCe) \times (1/2) \times (PAFM_{op6} / NAPAF)\} \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (1/2) \} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5})$$

$$SCC_{op7} = \{(0.80 \times AFCe) \times (7/12) \times (PAFM_{op7} / NAPAF)\} \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (7/12) \} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5} + SCC_{op6})$$

$$SCC_{op8} = \{(0.80 \times AFCe) \times (2/3) \times (PAFM_{op8} / NAPAF)\} \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (2/3) \} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5} + SCC_{op6} + SCC_{op7})$$

$$SCC_{op9} = \{(0.80 \times AFCe) \times (3/4) \times (PAFM_{op9} / NAPAF)\} \text{ subject to ceiling of } (0.80 \times AFCe) \times (3/4) \} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5} + SCC_{op6} + SCC_{op7} + SCC_{op8})$$

Provided that in case of generating station or unit thereof under shutdown due to Renovation and Modernisation, the generating company shall be allowed to recover O&M expenses and interest on loan in respect of emission control system only.

Where,

$SCC_m =$ Supplementary Capacity Charge for the Month;

$SCC_p =$ Supplementary Capacity Charge for the Peak Hours of the Month;

$SCC_{op} =$ Supplementary Capacity Charge for the Off-Peak Hours of the Month;

$SCC_{pn} =$ Supplementary Capacity Charge for the Peak Hours of n^{th} Month in a specific Season;

- SCCopn= Supplementary Capacity Charge for the Off-Peak Hours of nth Month in a specific Season;
- AFCe= Annual Fixed Cost of the emission control system;
- PAFM_{pn}= Plant Availability Factor achieved during Peak Hours upto the end of nth Month in a Season;
- PAFM_{opn}= Plant Availability Factor achieved during Off-Peak Hours upto the end of nth Month in a Season;
- NAPAF= Normative Annual Plant Availability Factor.

(3) Any under-recovery or over-recovery of Supplementary Capacity Charge as a result of under-achievement or over-achievement, vis-à-vis the NAPAF in Peak Hours and Off-Peak Hours of a Season (High Demand Season or Low Demand Season, as the case may be) shall not be adjusted with under-achievement or over-achievement, vis-à-vis the NAPAF in Peak Hours and Off- Peak Hours of the other Season:

Provided that within a Season, the shortfall in recovery of Supplementary Capacity Charge for cumulative Off-Peak Hours derived based on NAPAF, shall be allowed to be off-set by over-achievement of PAF, if any, and consequent notional over-recovery of Supplementary Capacity Charge for cumulative Peak Hours in that Season:

Provided further that within a Season, the shortfall in recovery of Supplementary Capacity Charge for cumulative Peak Hours derived based on NAPAF, shall not be allowed to be off-set by over-achievement of PAF, if any, and consequent notional over-recovery of Supplementary Capacity Charge for cumulative Off-Peak Hours in that Season.

Normative Plant Availability Factor for Peak Hours and Off-Peak Hours in a month for the purpose of Supplementary Capacity Charge and Peak Hours and Off-Peak Hours shall be considered in the manner specified in Clause (3) of Regulation 42A of these regulations. The PAFM shall be worked out in accordance with Regulation 42.5 of these regulations.”

23. Amendment to Regulation 43 of the Principal Regulations.

23.1. At the end of the heading of Regulation 43 of the Principal Regulations, the words

“and Supplementary Energy Charge for Coal based Thermal Generating Stations:” shall be added.

23.2. A new clause, namely, clause (a) shall be added after Regulation 43.1 of the Principal Regulations as under:

“43.1(a) The supplementary energy charge on account of emission control system shall cover the differential energy charges due to auxiliary energy consumption and cost of reagent consumption, and shall be payable by every beneficiary for the total energy scheduled to be supplied to such beneficiary during the calendar month on ex-power plant basis, at the supplementary energy charge rate of the month. Total supplementary energy charge payable to the generating company for a month shall be:

Supplementary Energy Charges = (Supplementary energy charge rate in Rs./kWh)x{Scheduled energy(ex-bus) for the month in kWh}”

23.3. In Regulation 43.2 of the Principal Regulations, the words “and Supplementary Energy charge rate” shall be added after the words “Energy charge rate (ECR)”.

23.4. A new sub-clause, namely, Sub-clause (a) shall be inserted after Regulation 43.2 of the Principal Regulations as under:

“(a) Supplementary ECR for coal based thermal generating stations:

Supplementary ECR= $(\Delta ECR) + [(SRC \times LPR / 10) / (100 - (AUX_n + AUX_{en}))]$

Where,

(ΔECR) = Difference between ECR with revised auxiliary energy consumption with emission control system equivalent to $(AUX_n + AUX_{en})$ and ECR with normative auxiliary energy consumption as specified in these regulations and revised;

SRC = Specific reagent consumption on account of revised emission standards (in g/kWh);

LPR = Weighted average landed price of reagent for emission control system (in Rs./kg)”.

24. Amendment to Regulation 44 of the principal Regulations

In Regulation 44.1 of the principal Regulations, the words “and Supplementary Energy Charges” shall be added after the word “Energy Charges”.

25. Amendment to Regulation 46 of the Principal Regulations

In Regulation 46.2 of the Principal Regulations, the words “notified by Central Commission separately” shall be substituted by the words “as specified in Regulation 49 of these Regulations”

26. Amendment to the Regulation 49 of the Principal Regulations.

26.1. In Regulation 49.1 of the Principal Regulations, the words “supplementary capacity charge, supplementary energy charge,” shall be inserted after the words “energy charge.”.

26.2. A new sub-clause, namely, Sub-clause (F) shall be inserted after Sub-clause (E) of Regulation 49.3 of the Principal Regulations as under:

“(F) Norms of Auxiliary energy consumption for emission control system (AUXen) of thermal generating stations:

Name of Technology	AUXen (as % of gross generation)
(1) For reduction of emission of sulphur dioxide:	
a) Wet Limestone based FGD system (without Gas to Gas heater)	1.0%
b) Lime Spray Dryer or Semidry FGD System	1.0%
c) Dry Sorbent Injection System (using Sodium bicarbonate)	NIL
d) For CFBC Power plant (furnace injection)	NIL
e) Sea water based FGD system (without Gas to Gas heater)	0.7%
(2) For reduction of emission of oxide of nitrogen :	
a) Selective Non-Catalytic Reduction system	NIL
b) Selective Catalytic Reduction system	0.2%

Provided that where the technology is installed with “Gas to Gas” heater,

AUXen specified above shall be increased by 0.3% of gross generation.”

26.3. A new clause, namely clause (G) shall be added after clause (F) of Regulation 49 of the Principal Regulations as under:

“(G) **Norms for consumption of reagent:** (1) The normative consumption of specific reagent for various technologies for reduction of emission of sulphur dioxide shall be as under:

(a) **For Wet Limestone based Flue Gas De-sulphurisation (FGD) system:** The specific limestone consumption (g/kWh) shall be worked out by following formula:

$$[K \times SHR \times S/CVPPF] \times [85/LP]$$

Where,

S = Sulphur content in percentage,

LP = Limestone Purity in percentage,

SHR= Gross station heat rate, in kCal per kWh;

CVPPF= Weighted Average Gross calorific value of coal as received, in kCal per kg for coal based thermal generating stations less 85kCal/kg on account of variation during storage at generating station:

Provided that value of K shall be equivalent to (35.2 x Design SO₂ Removal Efficiency /96%) for units to comply with SO₂ emission norm of 100/200 mg/Nm³ or (26.8 x Design SO₂ Removal Efficiency/73%) for units to comply with SO₂ emission norm of 600 mg/Nm³:

Provided further that the limestone purity shall not be less than 85%.

(b) **For Lime Spray Dryer or Semi-dry Flue Gas De-sulphurisation (FGD) system:** The specific lime consumption shall be worked out based on minimum purity of lime (LP) as at 90% or more by applying formula [6x90/LP] g/kWh;

(c) **For Dry Sorbent Injection System (using sodium bicarbonate):** The specific consumption of sodium bicarbonate shall be 12g per kWh at 100% purity.

- (d) **For CFBC Technology (furnace injection) based generating station:** The specific limestone consumption for CFBC based generating station (furnace injection) shall be computed with the following formula:

$$[62.9 \times S \times \text{SHR}/\text{CVPF}] \times [85/\text{LP}]$$

Where

S = Sulphur content in percentage,

LP = Limestone Purity in percentage,

SHR = Gross station heat rate, in kCal per kWh,

CVPF= Weighted Average Gross calorific value of coal as received, in kCal per kg for coal based thermal generating stations less 85kCal/kg on account of variation during storage at generating station.

- (e) **For Sea Water based Flue Gas Desulphurisation (FGD) system:** The reagent used in sea water based Flue Gas Desulphurisation (FGD) system shall be NIL.

- (2) The normative consumption of specific reagent for various technologies for reduction of emission of oxide of nitrogen shall be as below:

(a) **For Selective Non-Catalytic Reduction(SNCR) System:** The specific urea consumption of SNCR system shall be 1.2 g / kWh at 100% purity of urea.

(b) **For Selective Catalytic Reduction (SCR) System:** The specific ammonia consumption of SCR system shall be 0.6 g / kWh at 100% purity of ammonia.”

27. Amendment to Regulation 65 of the principal Regulations.

A new Regulation 65.3 shall be inserted after proviso of Regulation 65.2 of the principal Regulations as under :

“65.3 Expenses towards Fly Ash utilization & transportation shall be payable in accordance to the directives issued by Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification No. S.O. 5481 (E) dated 31.12.2021 and subsequent amendment issued from time to time:

Provided that the generating company shall maintain separate accounts/records for expenses towards Fly Ash utilization & transportation

reconciled with the Annual Audited Accounts and duly certified by the statutory Auditor. The generating company shall submit complete details of aforesaid expenses to the procurer in FORM TPS 19 (A) along with supporting documents.

28. Amendment to PART I of Annexure I of the Principal Regulations.

28.1. A new form namely, FORM 15 A shall be inserted after FORM 15 of Annexure-I of Part I of the Principal Regulations.

28.2. A new form namely, FORM 19 A shall be inserted after FORM 19 of Annexure-I of Part I of the Principal Regulations.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

Note: (i) The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2020 {RG-26 (IV) OF 2020} were published in Gazette of Madhya Pradesh on 28th February' 2020.

(ii) First Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2020 {ARG-26 (IV)(i) OF 2023}. was published in Gazette of Madhya Pradesh on 27th January' 2023.

Annexure-I

PART 1
FORM-15A**Details of Reagent for
Computation of Supplementary Energy Charge Rate**

Name of the Petitioner _____

Name of the Generating Station _____

S. No.	Month	Unit	For preceding	For preceding	For preceding
			3 rd Month (from ODe)	2 nd Month (from ODe)	1 st Month (from ODe)
1	Opening Stock of Reagent	MT			
2	Quantity of Reagent supplied by Limestone supply Company	MT			
3	Adjustment (+/-) in quantity Supplied by limestone or Reagent supply Company	MT			
4	Net quantity of Reagent Received (1±2)	MT			
5	Amount charged for Reagent supply Company	(Rs.)			
6	Adjustment (+/-) in amount charged made for Reagent supply by the Company	(Rs.)			
7	Total amount Charged (4±5)	(Rs.)			
8	Transportation charges by rail/ship/road transport	(Rs.)			
9	Adjustment (+/-) in amount charged made by Railways /Transport Company	(Rs.)			
10	Demurrage Charges, if any	(Rs.)			
11	Total Transportation Charges (8±9-10)	(Rs.)			
12	Total amount Charged for Reagent supplied including Transportation (6+10)	(Rs.)			
13	Weighted Average Cost of Reagent during the month	Rs/MT			
14	Purity of Reagent received during the month	(%)			

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2023

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-

1.1 यह नियम मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल (मण्डल कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2022 कहलायेगा।

1.2 अन्यथा उपबन्धित स्थिति को छोड़कर ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) परिभाषाएँ :- इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, राज्य शासन के अनुमोदन से गठित समिति

(ग) "शासन या राज्य सरकार" से अभिप्रेत है "मध्यप्रदेश शासन" एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल,

(ड.) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 (3) के अधीन शासन द्वारा नियुक्त मण्डल अधिनियम, 2003 की धारा 4 (1) में वर्णित मण्डल का सचिव।

(छ) "सेवानिवृत्त शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है शासकीय सेवा से अधिवर्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त शासकीय सेवक अथवा शासकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त शासकीय सेवक।

(ज) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।

(3) सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान:-

(1) सेवा का वर्गीकरण, संख्या तथा वेतनमान-अनुसूची- एक में किये गये उपबंध के अनुसार होंगे।

(2) सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान की पात्रता शासन द्वारा इस संबंध में समय-पर जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप होगी।

3.1 प्रतिनियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को समय समय पर अनुज्ञेय वेतनमान एवं भत्ते लागू होंगे।

(4) भर्ती का तरीका:-

4.1 (1) म.प्र. असंगठित कर्मकार कल्याण नियम 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत नियुक्ति निम्नलिखित पद्धति से की जावेगी,

(क) प्रतियोगी परीक्षा / चयन/ साक्षात्कार अथवा दोनों तरीकों से सीधी भर्ती द्वारा,

(ग) म.प्र. असंगठित कर्मकार कल्याण नियम 2005 के नियम 17 के अधीन राज्य शासन के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

4.2 उप विनियम (4) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या, वर्गीकरण आदि अनुसूची-दो में उल्लेखित है, जिसका पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं सीधी भर्ती का प्रतिशत निम्नानुसार होगा:-

(क) द्वितीय श्रेणी:-

तथा वरिष्ठ लेखाधिकारी का पद सविदा/ प्रतिनियुक्ति का होगा। सहायक सचिव के पद पर सकेगी। वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति म.प्र. शासन कोष एवं लेखा (वित्त विभाग) से की जा सकेगी। उक्त पद हेतु नियमित अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध न होने की दशा में सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी की नियुक्ति सविदा पर की जा सकेगी।

(ख) तृतीय श्रेणी:-

- (1) सहायक श्रम अधिकारी/ कल्याण अधिकारी के 02 पद तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) हैं, जो 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से भरे जावेंगे।
- (2) श्रम निरीक्षक/ कल्याण पर्यवेक्षक - 02 पद तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) हैं जो 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे।
- (3) सीनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर एवं जूनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर - सीनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर - 01 पद व जूनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर - 02 पद सविदा के माध्यम से भरे जावेंगे।
- (4) लेखापाल - कनिष्ठ लेखाधिकारी का 01 पद सविदा के माध्यम से भरा जावेगा। से भरे जावेंगे।

(ग) चतुर्थ श्रेणी:-

- (1) भृत्य व चौकीदार - भृत्य के 03 पद व चौकीदार के 02 पद आऊटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से भरे जावेंगे।
- 4.3 भर्ती नियम बनने से पूर्व मण्डल की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की नियमितीकरण - जो कर्मचारी इन नियमों के लागू होने के पूर्व से मण्डल में सविदा/ कलेक्टर दर पर/ दैनिक वेतन भोगी/ निश्चित वेतन द्वारा कार्यरत है यदि वे भर्ती नियमों के अनुसार पदों पर उपयुक्त पाये जाने की दशा में रिक्त पदों पर उनका चयन सीमित चयन प्रक्रिया द्वारा किये जाने पर विचार किया जायेगा।

- 4.4 सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के संबंध में नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुरूप की जायेगी।
- 4.5 आरक्षण रोस्टर:- सीधी भर्ती एवं संविदा पदों पर भर्ती पदोन्नति में 100 बिन्दु रोस्टर उसी प्रकार मण्डल कर्मचारियों पर लागू होगा, जैसा कि राज्य शासन समय-समय पर अपने कर्मचारियों हेतु तय करे।

इन विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किन्हीं विशिष्ट रचित या रिक्तियों को, जिनका/ जिसका कि भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरी जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति या पद्धतियां तथा प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती किये जाने वाले रिक्तियों की संख्या, मण्डल के सचिव द्वारा प्रत्येक पर अवधारित की जायेगी।

- 4.6 उप-विनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि मण्डल सचिव की राय में सरकार के अनुमोदन से सेवा में भर्ती के लिये उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट पद्धतियों से भिन्न पद्धति अपनायेगा जिसे वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे।

परन्तु सभी प्रकार की सीधी भर्ती म.प्र. लोक सेवा आयोग, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड या शासकीय संस्था के माध्यम से ही की जायेगी।

संविदा पदों पर भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। सभी पदों हेतु नियमित अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध न होने की दशा में सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी की नियुक्ति संविदा आधार पर की जा सकेगी।

- 4.7 सेवा में नियुक्ति - इन विनियमों के प्रभावशील होने के पश्चात् नियमावली के नियम 16 अधीन सेवा की समस्त नियुक्तियां मण्डल के अनुमोदन से मण्डल सचिव द्वारा की जायेगी तथा ऐसी प्रत्येक नियुक्ति विनियमों में विनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धतियों में से किसी एक द्वारा चयन करने के बाद ही की जायेगी।

परन्तु किसी भी बात के होते हुये भी जो कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध उस पद के नियमित वेतनमान को प्राप्त कर रहे हैं, वह पदोन्नति/ समयमान वेतनमान सहित अन्य सभी लाभों के लिये पात्र होंगे।

- 4.8 प्रतिनियुक्ति की अवधि - किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 02 वर्ष तक होगी। जिसे समय-समय पर अधिकारी/ कर्मचारी की सहमति से एक-एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

(5) सीधी भर्ती से चयन की पात्रता की शर्त:-

आवेदक के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनुसूची तीन में विभिन्न पदों के लिये अभिकथित की गई हो।

मण्डल की सिफारिश पर ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता मान सकेगा जो यद्यपि अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता या किन्तु उसने किन्हीं अन्य संस्थानों द्वारा संचालित

परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो अध्यक्ष की राय में चयन के लिये अभ्यर्थी के प्रवेश को न्यायोचित मानता हो।

(6) आवेदक को मण्डल द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

(7) मण्डल सचिव के विनिश्चय की अन्तिमता-नियम 8 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए किसी अभ्यर्थी के चयन के लिये पात्रता या अपात्रता के संबंध में मण्डल सचिव का निर्णय अन्तिम होगा साक्षात्कार में प्रवेश के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(8) **अनर्हता:-**

8.1 किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी प्रकार का समर्थन अभिप्राप्त कराने का प्रयास उसके चयन के लिये मण्डल सचिव द्वारा अनर्ह ठहराया जा सकेगा।

8.2 ऐसा अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ / पति हो या ऐसा अभ्यर्थी जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पहले से जीवित पति/ पत्नि हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि मण्डल सचिव का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस उपनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

8.3 किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा:-

(क) यदि उसे किसी प्राधिकारी, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से अपचार के

(ख) यदि उसे ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अक्षमता अन्तर्बलित हो.

8.4 किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण जो विहित किया जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और और सेवा व पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए.

8.5 कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु जहाँ तक किसी उम्मीदवार के के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

8.6 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

8.7 कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.



(9) **अर्ह अभ्यर्थियों की सूची:-**

- 9.1 जहाँ भर्ती चयन द्वारा की जाना हो, वहाँ मण्डल सचिव ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्हें यह यथा स्थिति लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार अथवा केवल साक्षात्कार के आधार पर अत्यधिक उपयुक्त समझता हो और साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की जो यद्यपि निर्धारित मानक के अनुसार सही नहीं हैं, किन्तु जिन्हें मण्डल प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के लिए सेवा में नियुक्ति के लिए मण्डल सचिव ने उपयुक्त घोषित किया हो, सूची तैयार करेगा तथा अधिमान क्रम में रखेगा।
- 9.2 सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान प्रदान नहीं करता, जब तक कि मण्डल सचिव का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे यह समाधान हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(10) **चयन:-**

- 10.1 मण्डल की सेवा में चयन हेतु भर्ती ऐसे अन्तरालों में की जाएगी जैसा कि मण्डल सचिव, मण्डल के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें।
- 10.2 उप विनियम के खण्ड (1) के अधीन चयन के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखने वाले वाले व्यक्तियों के नाम खुली प्रतियोगिता द्वारा लिये जावेंगे।
- 10.3 सेवा में अभ्यर्थियों का चयन मण्डल सचिव या किसी अन्य अधिकारी या चयन समिति द्वारा द्वारा जैसा कि मण्डल द्वारा अवधारित किया जाए उनका लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार अथवा दोनों लेने के पश्चात् किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों की लिखित या मुद्रलेखन योग्यताओं को सुनिश्चित करने के लिये साक्षात्कार से पूर्व लिखित परीक्षा भी ली जा सकेगी।

- 10.4 मण्डल सचिव के अधीन मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल में दैनिक वेतन भोगी (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल) स्थायी कर्मी (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल) एवं सविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिन्होंने नियुक्ति से निरंतर 10 वर्षों की संतोषजनक सेवा मण्डल में पूर्ण कर ली है. इनमें से मण्डल में वरिष्ठता के आधार पर सीधी भर्ती के विरुद्ध पद की अर्हता पूर्ण करने वाले कर्मचारी की उक्त पद अथवा समकक्ष पदों पर आरक्षण नियमों (रोस्टर) का पालन करते हुये रिक्त नियमित पद (पद उपलब्ध होने की स्थिति में) पर नियुक्ति हेतु चयन के लिये मण्डल सक्षम समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की अनुशंसानुसार प्रस्ताव संचालक मण्डल में प्रस्तुत किया जाएगा। संचालक मण्डल के अनुमोदन पश्चात् मण्डल के अध्यक्ष की ओर से प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, जिसके पश्चात् मण्डल सचिव द्वारा नियमित नियुक्ति संबंधी आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

(11) संविदा पदों पर नियुक्ति एवं शर्तः-

- 11.1 संविदा नियुक्ति एक निश्चित समय सीमा (दो वर्ष) के लिये की जावेगी। संविदा कर्मों को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11.2 संविदा पर नियुक्त संविदाकर्मों को एक निश्चित मानदेय/ पारिश्रमिक (Fix Pay) पर रखा जावेगा, जिसका निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा।
- 11.3 संविदा कर्मों की संविदा अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त मानी जायेगी, संविदाकर्मों को किसी प्रकार का लिखित में कोई सूचना/ पत्र नहीं दिया जायेगा।
- 11.4 संविदा कर्मों भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- 11.5 संविदा कर्मों की सेवाएँ निर्धारित अवधि के पूर्व विभाग/ नियोक्ता द्वारा एक माह का वेतन देते हुए बिना किसी नोटिस/ सूचना के व बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।
- 11.6 यदि कोई संविदाकर्मों संविदा अवधि के दौरान संविदा नियुक्ति छोड़ना चाहता है, तो उसे संविदा संविदा त्याग करने के 30 दिवस पूर्व का नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा एक माह का पारिश्रमिक/ मानदेय पदस्थी कार्यालय में जमा कराना होगा।
- 11.7 संविदा पर नियुक्त संविदाकर्मों सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/ निर्देश के कोई भी सूचना/ जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
के प्रावधान के तहत किया जायेगा।
- 11.9 संविदाकर्मों को वर्ष में केवल 13 दिन के आकस्मिक अवकाश, 03 दिन के एच्छिक अवकाश एवं 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदा कर्मियों को 180 दिवस दिवस के प्रसूति अवकाश एवं पुरुष संविदा कर्मों को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता मानदेय/ पारिश्रमिक सहित होगी। प्रसूति एवं पितृत्व अवकाश प्रथम दो जीवित संतानो तक ही देय होगा।
- 11.10 संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा संविदा नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त मानी जायेगी।
- 11.11 संविदाकर्मों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जायेगी।
- 11.12 चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई अभ्यर्थी किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी किसी सूचना के अपने कर्तव्य से लगातार 15 दिवस या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति उसकी अनुपस्थिति तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

- 11.13 सविदा अवधि के दौरान यदि किसी प्रकार का कोई विवाद दोनो पक्षों के मध्य उत्पन्न होता है शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल का होगा, जो दोनो पक्षों को मान्य/ बंधनकारी होगा तथा इस विवाद के निराकरण का क्षेत्रधिकार भोपाल होगा। किसी भी पक्ष को ऐसे विवाद के निराकरण के लिये न्यायालय बाधित रहेगा।
- 11.14 सविदा पर नियुक्त सविदाकर्मी को 500/- रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संबंधित नियोक्ता के साथ करारनामा निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
- 11.15 नियमित सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक सविदा के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति होगी। विशेष स्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये सचिव मण्डल द्वारा आगामी वर्षों में कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी।
- 11.16 आयु की गणना आलोच्य वर्ष की एक जनवरी को आधार मानकर की जायेगी। द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के मूल निवासी सभी संवर्ग के अभ्यर्थी/ चयनित को अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा।

(12) अनुबंध:-

ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल के साथ गैर न्यायिक बंधपत्र (जिसकी राशि मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी) पर अनुबंध निष्पादित किया जाना संबंधित कर्मचारी को निर्धारित आवेदन पत्र पर अनुबंध का नवीनीकरण कराना होगा।

- 12.2 अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 12.3 प्रथम सविदा पर चरित्र सत्यापन:- सविदा पद पर चयनित कर्मचारी को नियुक्ति के समय इस आशय का स्वप्रमाणन देना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्य एवं विचाराधीन नहीं है। आवश्यकतानुसार संबंधित आवेदक/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की पुलिस द्वारा जांच करवाई जा सकेगी। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल टिप्पणी की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तुरंत रद्द कर दी जायेगी। (मध्यप्रदेश राजपत्र-06 फरवरी 2003 कंडिका 10(3))
- 12.4 अनुबंध पर चिकित्सकीय जांच:- नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही सविदा नियुक्ति वैध होगी।
- 12.5 गर्भवती महिलाओं को प्रथम सविदा नियुक्ति पर अस्थायी रूप से अयोग्य माना जावेगा। ऐसे उम्मीदवारों को प्रसूति के 6 सप्ताह के भीतर मेडिकल फिटनेस संबंधी प्रमाण पत्र के

साथ कार्य स्थल पर उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। प्रसूति के 6 सप्ताह भीतर कार्यस्थल पर उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाकर करने की अनुमति दी जा सकेगी।

तत्काल रद्द की जाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रस्तुत की जा सकेगी।

12.7 अनुबंध अवधि में दी गई सेवाओं के लिए कोई पेंशन, ग्रेच्युटी, बोनस, अन्य किसी भी प्रकार के स्वत्वों अथवा नियमित शासकीय सेवा के दावे आदि की पात्रता नहीं होगी।

(13) मासिक मानदेय में कटौती:-

13.1 टी. डी. एस. कटौती:- सविदा कर्मचारी की मासिक मानदेय राशि में से प्रतिमाह टी.डी.एस. कटौती की जायेगी। इस हेतु आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

13.2 ई.पी.एफ. कटौती:- भारत शासन एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के प्रकाश में कार्यकारिणी समिति/ सचिव मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप मानदेय में से ई.पी.एफ. की कटौती की जायेगी।

(14) अवकाश:-

14.1 आकस्मिक अवकाश :- सविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी निरंतर 3 से अधिक दिवसों हेतु लिये गये अवकाश अवधि को अवैतनिक माना जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सचिव मण्डल की पूर्वानुमति से 03 से अधिक दिवसों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु इस हेतु अवकाश में जाने के पूर्व आवेदन देना होगा। अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

14.2 अर्जित अवकाश :- सविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 15 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु आगामी वर्ष में इन्हें गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

14.3 मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में सविदा कर्मचारी द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त की जाना होगी।

14.4 चिकित्सा अवकाश- सविदा पर नियुक्त कर्मचारी/ अधिकारी को नियमानुसार 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिवस के सवैतनिक चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। महिला कर्मचारी गर्भपात की स्थिति में भी इस अवकाश की पात्र होंगी। विशेष परिस्थितियों में बीमारी की गंभीरता देखते हुये एवं जिला मेडिकल बोर्ड से प्रमाणीकरण उपरांत अधिकतम 15 अतिरिक्त दिवस तक का वैतनिक अवकाश सचिव मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। शेष अवधि

एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु यह अवकाश अवधि एक से अधिक वित्तीय वर्षों में विस्तृत नहीं होगी (क्योंकि वित्तीय वर्षों पर सभी अनुबंध अनुबंध स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं।) अवैतनिक अवकाश की अवधि की गणना अनुबंध एवं मानदेय वृद्धि में नहीं की जायेगी।

- 14.5 7 दिवस अथवा इससे कम के चिकित्सा अवकाश हेतु राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14.6 7 दिवस से 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश हेतु जिला चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 14.7 चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में अग्रणीत (कैरी फॉरवर्ड) नहीं किया जायेगा।
- 14.8 प्रसूति अवकाश- सविदा महिला अधिकारी/ कर्मचारियों को 180 दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। इस अवकाश की गणना लगातार होगी अर्थात् इसे टुकड़ों में नहीं आवेदित किया जा सकेगा। यदि अवकाश अवधि एक से अधिक वित्तीय वर्षों में विस्तृत हो तो अवकाश अवकाश अवधि वित्तीय वर्षान्त तक होगी। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु (शेष अवधि हेतु) इसकी गणना अगली वित्तीय वर्ष में अनुबंध नवीनीकरण की स्थितियों के आधार पर होगी।
- 14.9 सविदा सेवा के प्रथम वर्ष में लिया गया प्रसूति अवकाश अवैतनिक होगा।
- 14.10 प्रसूति अवकाश प्रथम दो जीवित सन्तानों तक देय होगा।
- 14.11 पुरुष सविदा कर्मियों को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी। सविदा के प्रथम वर्ष की अवधि में लिया गया पितृत्व अवकाश अवैतनिक होगा।
- 14.12 पितृत्व अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।
- 14.13 अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार सचिव, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल को होगा।
- 14.14 अवकाशों के मामले में मण्डल की सेवा के सभी नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों को यथा
- 14.15 अवकाश मंजूरी की शक्तिया, सचिव अथवा मण्डल का अन्य अधिकारी जिसे सचिव के अनुमोदन से अवकाश स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किये जायेंगे।

(15) **आयु सीमा :-**

- 15.1 म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, मध्यप्रदेश के अंतर्गत समस्त रिक्त पदों के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू होंगे। आयु-सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति में की जाएगी:-

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी संवर्ग के लिये अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

16. भत्ते:-

मण्डल में प्रतिनियुक्त शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्न भत्ते उसी दर से प्राप्त होंगे जैसे कि समान पद श्रेणी के शासकीय सेवकों को प्राप्त होते हैं:-

- (1) मंहगाई भत्ता,
- (2) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता,
- (3) मकान किराया भत्ता,
- (4) वाहन भत्ता,
- (5) निःशक्त कर्मचारियों को निःशक्त भत्ता,
- (6) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता,
- (7) यात्रा भत्ता,

17. सेवा अभिलेख:-

(1) सेवा के प्रत्येक सदस्य की एक सेवा पुस्तिका रखी जाएगी। सेवा पुस्तिका का अनुसरण या संधारण उसी रीति में तथा उसी प्रारूप में किया जाएगा, जैसा कि सरकारी सेवकों के लिये विहित विहित है, सेवा पुस्तिकाएं मुख्यालय में सचिव द्वारा तथा संभागों के अधीन आने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकें संभागीय/जिला कार्यालय द्वारा बनाए रखी जाएंगी परन्तु सभी प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की सेवा पुस्तिकें मुख्यालय स्तर पर ही संधारित होंगी।

(2) प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा अभिलेख उनके पैतृक विभागों में ही संधारित किए

(3) निजी नस्तियां (क) सेवा पुस्तिकाओं के समान ही सेवा के प्रत्येक सदस्य की निजी नस्तियां

(ख) निजी नस्ती में नियुक्ति, पदोन्नति, निलंबन, दण्ड, अवकाश की मंजूरी आदि के मूल आदेश और ऐसी सेवा के सदस्यों से संबंधित अन्य विशिष्टियां जिनसे उनके कार्य, चरित्र, आचरण आदि

18. गोपनीय प्रतिवेदन:-

(क) सेवा के समस्त सदस्यों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा

(ख) गोपनीय प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल को 31 मार्च की स्थिति में लिखा जाएगा

(ग) प्रतिवेदन का प्रारूप, प्रथम प्रतिवेदन, पुनर्विलोकन करने तथा प्रतिवेदन को ग्राह्य करने की

(घ) सचिव अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, सेवा के संबंधित सदस्य को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रतिकूल प्रविष्टि ग्राह्य किये जाने से सामान्यतः 90 दिवस के भीतर संसूचित

करेगा, प्रतिकूल टीका के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन की जांच और उसका निपटारा तीन माह के भीतर

(ड) गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के संबंध में समय-सारणी निम्नानुसार होगी:-

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा | 30 अप्रैल तक |
| 2. समीक्षक अधिकारी द्वारा | 31 मई तक |

(च) गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के लिये प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी तथा स्वीकृतकर्ता आने वाले अन्य अनुदेशों के मामले में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- एक क्रमांक 7 में जैसा

19. आचरण नियम:-

मण्डल की सेवा के प्रत्येक सदस्य पर निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के यथा संशोधित प्रावधान लागू होंगे:-

(2) आचरण नियमों के नियम 19 के अधीन जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अर्जन या व्ययन की मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (क) | - संभागीय/जिला अधिकारी/ सचिव |
| (ख) प्रथम/द्वितीय श्रेणी के सचिव के अधीनस्थ | - सचिव अथवा मूल विभाग विभाग यथास्थिति |
| (ग) सचिव के मामले में | - अध्यक्ष अथवा मूल विभाग यथास्थिति |

20. अनुशासनिक कार्यवाहियाँ:-

(1) मण्डल सेवकों पर आचरण से संबंधित मामलों में दण्ड, निलंबन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में अन्तर्विष्ट

21. अनुशासनिक प्राधिकारी:-

इन नियमों के उपबंधों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अधीन रहते हुए शास्तियां अधिरोपित करने के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी नीचे दिये अनुसार होंगे:-

(क)		लघु शास्ति एवं दीर्घ	-	सचिव
(ख)	प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध	लघु शास्ति	-	सचिव
(ग)	प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में,	दीर्घ शास्ति	-	अध्यक्ष

22. अपील:- नियमानुसार शास्ति के विरुद्ध आगामी वरिष्ठ अधिकारी अथवा अध्यक्ष के समक्ष अपील करने

23. नियम, आदेश और अनुदेशों आदि का लागू होना:-

इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा संबंधी मामलों में मध्यप्रदेश मूलभूत नियम, मध्यप्रदेश पदग्रहण काल नियम, 1982, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा) नियम, 1960, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 तथा सामान्य पुस्तक परिपत्र के उपबंध, उपबंध, मण्डल सेवा के सदस्यों को यथा संशोधित रूप में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि सरकारी सेवकों को लागू लागू है,

24. यात्रा भत्ता, आवास भत्ता आदि:-

(1) राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर लागू यात्रा भत्ता नियम, सेवा के सदस्यों को भी लागू होंगे, तथापि ऐसे मामलों में, जहां प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित है कि यात्रा राज्य में या राज्य से बाहर की जाए, वहां सचिव यात्रा, निवास तथा भोजन (लॉजिंग तथा बॉर्डिंग) संबंधी व्यय ऐसी दरों पर मंजूर कर सकेगा, जो मण्डल के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उपगत किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त हो, बशर्त कि उसके द्वारा उपगत किये गये व्ययों की

(2) मण्डल के अधिकारियों को, उनकी स्वयं की कार से यात्रा करने पर ऐसी दर से रोड माइलेज

25. चिकित्सा सहायता:-

(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये उसी प्रकार हकदार होगा, जिस प्रकार कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के अधीन प्रदेश के अंदर तथा प्रदेश के बाहर उपचार कराने के लिये शासकीय कर्मचारी हकदार होते हैं।

अनुसूची-एक

क्रं.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतनमान)
1	2	3	4	5
1	सहायक सचिव	2	द्वितीय श्रेणी (वर्ग-दो) (राजपत्रित)	56100-177500 (लेवल-12) अथवा 67300-206900 (लेवल-13) अथवा 79900-211700 (लेवल-14) (यथास्थिति) शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति/ सविदा से भरा जायेगा।
2	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	56100-177500 (लेवल-12) अथवा 67300-206900 (लेवल-13) अथवा 79900-211700 (लेवल-14) (यथास्थिति) शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति/ सविदा से भरा जायेगा।
3	सहायक श्रम अधिकारी/ कल्याण अधिकारी	2	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	36200-114800 (लेवल-9) शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा।
4	श्रम निरीक्षक/ कल्याण पर्यवेक्षक	02	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	28700-91300 (लेवल-7) शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा।
5	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	सविदा आधार पर भरा जायेगा। (सविदा वेतन
6	सीनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर	01	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	सविदा आधार पर भरा जायेगा। (सविदा वेतन
7	जूनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर	02	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	सविदा आधार पर भरा जायेगा। (सविदा वेतन
8	कम्प्यूटर ऑपरेटर	04	तृतीय श्रेणी	आऊटसोर्स ऐसेन्सी से शासन द्वारा उच्च कुशल/ कुशल हेतु निर्धारित दरों पर लिया जायेगा।
9	भृत्य	03	चतुर्थ श्रेणी	आऊटसोर्स ऐसेन्सी से शासन द्वारा अकुशल हेतु निर्धारित दरों पर लिया जायेगा।
10	सुरक्षा चौकीदार	02	चतुर्थ श्रेणी	आऊटसोर्स ऐसेन्सी से शासन द्वारा अकुशल हेतु निर्धारित दरों पर लिया जायेगा।

टीप:- क्रमांक 5 6 एवं 7 पर दर्शाये गये सविदा पदों पर यदि सीधी भर्ती की जाती है तो सविदा वेतन अधिकतम निर्धारित वेतन के अधीन सविदाकर्मी के अनुभव एवं अर्हता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष उक्त सविदा वेतन में शासन के नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।

अनुसूची-दो

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्गीकरण	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत
1	सहायक सचिव	02	द्वितीय श्रेणी (वर्ग-दो) (राजपत्रित)	100% प्रतिनियुक्ति/ संविदा से
2	वरिष्ठ लेखधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	100% प्रतिनियुक्ति/ संविदा से
3	सहायक श्रम अधिकारी/ कल्याण अधिकारी	02	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	100% प्रतिनियुक्ति से
4	श्रम निरीक्षक/ कल्याण पर्यवेक्षक	02	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	100% प्रतिनियुक्ति से
5	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	100% संविदा से
6	सीनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर	01	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	100% संविदा से
7	जूनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर	02	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	100% संविदा से
8	कम्प्यूटर ऑपरेटर	04	तृतीय श्रेणी	100% आऊटसोर्स से
9	भृत्य	03	चतुर्थ श्रेणी	100% आऊटसोर्स से
10	सुरक्षा चौकीदार	02	चतुर्थ श्रेणी	100% आऊटसोर्स से

अनुसूची-तीन

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्गीकरण	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव/अर्हतायें
1	सहायक सचिव	02	द्वितीय श्रेणी (वर्ग-दो) (राजपत्रित)	21	62	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में - राज्य शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (श्रम विभागीय ALC/LO के अथवा संयुक्त कलेक्टर के समकक्ष)
				33	64	सेवा निवृत्त शासकीय सेवक से संविदा की स्थिति में - राज्य शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (श्रम विभागीय LO/ समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव अथवा श्रम विभागीय ALC/समकक्ष पद पर 05 वर्ष का अनुभव अथवा संयुक्त कलेक्टर के समकक्ष पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।)
2	वरिष्ठ लेखधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	21	62	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में - राज्य शासन वित्त विभाग के लेखधिकारी (कोष एवं लेखा)
				33	64	सेवा निवृत्त शासकीय सेवक से संविदा की स्थिति में - राज्य शासन (कोष एवं लेखा) में लेखधिकारी के पद पर कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।
3	सहायक श्रम अधिकारी/ कल्याण अधिकारी	02	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	21	62	राज्य शासन के तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अधिकारी (श्रम विभागीय विभागीय ALO के समकक्ष)
4	श्रम निरीक्षक/ कल्याण पर्यवेक्षक	02	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	21	62	राज्य शासन के तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अधिकारी (श्रम विभागीय विभागीय श्रम निरीक्षक के समकक्ष)
5	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	33	64	सेवा निवृत्त शासकीय सेवक से संविदा की स्थिति में - राज्य शासन (कोष एवं लेखा) में सहायक लेखधिकारी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।
				21	40	सीधी भर्ती से भरे जाने की स्थिति में- शैक्षणिक योग्यता - अनिवार्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी-

						कॉम, वांछित टेली+ पी.जी.डी.सी.ए. समकक्ष राज्य शासन के मण्डल/ निगम/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में समकक्ष पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।
6	सीनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर	01	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	21	40	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE/ B.Tech - IT/CS, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (ME/ M.Tech - IT/CS के उम्मीदवार को वरीयता), HTML, CSS, JAVA QUERY, JAVA SCRIPT, SQL SERVER संबंधी ज्ञान, राज्य की हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित राज्य स्तरीय पोर्टल पर कार्य का न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव।
7	जूनियर आई.टी. डाटा बेस मैनेजर	02	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	21	40	किसी मान्यता प्राप्त से BE/ B.Tech - IT/CS किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से IT/CS ब्रांच में स्नातकोत्तर के उम्मीदवार को वरीयता) राज्य की हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित राज्य स्तरीय पोर्टल पर front end कार्य का न्यूनतम 04 वर्ष का अनुभव। DATA BASE ADMINISTRATOR के कार्य का न्यूनतम 04 वर्ष का अनुभव।
8	कम्प्यूटर ऑपरेटर	04	तृतीय श्रेणी	21	40	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सैकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से टाईपिंग परीक्षा (25-30 शब्द प्रति मिनिट) की गति उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर के ज्ञान का प्रमाण-पत्र।
9	भृत्य	03	चतुर्थ श्रेणी	21	40	8 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण।
10	सुरक्षा चौकीदार	02	चतुर्थ श्रेणी	21	40	8 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण।

26. निर्वचन:-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे संचालक मण्डल को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा पर ऐसा निर्णय शासन द्वारा एतद् संबंध में बनाये गये नियमों के सुसंगत होगा।

संजय जैन, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2023

अधि.क्रमांक 05 /3/3/4/0009/2022/18-3 भोपाल, दिनांक 23/02/2023

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 358 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 254 के साथ पठित धारा 355, 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लोक मार्गों अथवा स्थानों पर आवारा पशुओं के समुचित नियंत्रण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम, 2023 है।
- (2) इन नियमों का विस्तार नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगरपरिषद् के अधिकार क्षेत्र के अधीन समस्त क्षेत्रों पर होगा।
- (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);
- (ख) "पशु" से अभिप्रेत है तथा उसमें सम्मिलित है कोई मवेशी, श्वान, बैल, घोड़ा, सुअर, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड़ या अन्य कोई पशु;
- (ग) "पशु कल्याण संगठन" से अभिप्रेत है तथा उसमें सम्मिलित है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए सोसायटी तथा पशुओं के कल्याण के लिए अन्य

- कोई संगठन, जो मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तथा जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अधीन गठित भारतीय पशु कल्याण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है;
- (घ) "ब्रांडिंग कोड" से अभिप्रेत है प्रत्येक पशु को दिया गया एक पहचान चिन्ह/संख्या;
- (ङ.) "कांजी हाउस" से अभिप्रेत है समस्त प्रकार के आवारा पशुओं को रखने का कोई स्थान;
- (च) "न्यायालय" से अभिप्रेत है क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाला सिविल न्यायालय;
- (छ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है किसी नगरपालिक निगम का आयुक्त अथवा नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् का मुख्य नगरपालिका अधिकारी;
- (ज) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम अथवा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्;
- (झ) "स्वामी" से अभिप्रेत है स्वामी अथवा स्वामी की अनुमति से अथवा अनुमति के बिना पशु या मवेशी पर अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति अथवा संगठन;
- (ञ) "रजिस्ट्रीकरण शुल्क" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन किसी पशु के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय-समय पर विहित शुल्क;
- (ट) "आवारा पशु" से अभिप्रेत है नगरपालिका की सीमाओं के भीतर आवारा भटकता पाया जाने वाला किसी भी प्रकार का पशु ;
- (ठ) "पशु चिकित्सक" से अभिप्रेत है किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी उपाधि धारित करने वाला कोई व्यक्ति तथा जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत है।

3. पशुओं का रजिस्ट्रीकरण तथा नवीनीकरण :-

- (1) नगरपालिका सीमा में रखे गए या लाए गए प्रत्येक पशु का स्वामी इन नियमों के अधिसूचित होने के तीन माह के भीतर अथवा उनके नगरपालिका सीमाओं में लाए जाने के 7 दिवस के भीतर, पशु के रजिस्ट्रीकरण के लिए संबंधित नगरपालिका के अनुज्ञापन प्राधिकारी को विहित प्रारूप क में आवेदन करेगा ऐसा करने में असफल रहने पर स्वामी पर ऐसे पशु के रजिस्ट्रीकरण शुल्क का दस गुना शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- (2) रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ, स्वामी परिशिष्ट '1' में यथाविहित रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भुगतान करेगा तथा पशु चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से जारी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि पशु किसी संक्रमक रोग से पीड़ित नहीं है तथा वह इस प्रयोजन के लिए बनाए गए परिसर में रखे जाने के लिए योग्य है।
- (3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् पशुचिकित्सक की देखरेख में पशु को माइक्रोचिप अथवा टैग या किसी अन्य अनुज्ञेय साधनों द्वारा ब्रांडिंग कोड लगवाएगा, जिसमें स्वामी की विस्तृत जानकारी अंतर्विष्ट होगी। ब्रांडिंग कोड को नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख में भी दर्ज किया जाएगा। ब्रांडिंग कोड की लागत स्वामी द्वारा वहन की जाएगी।
- (4) पशु का रजिस्ट्रीकरण एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। रजिस्ट्रीकरण अवधि की समाप्ति के पश्चात्, स्वामी तीस दिनों की अवधि के भीतर नवीनीकरण के लिए प्रारूप क में आवेदन देगा, जिसमें असफल रहने पर विलंब के प्रत्येक दिन के लिए रजिस्ट्रीकरण शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

4. कांजी हाउस का निर्माण तथा संधारण :-

- (1) प्रत्येक नगरपालिका जब्त किए गए आवारा पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त क्षमता के कांजी हाउस का निर्माण करेगी। किसी ब्रांडिंग कोड के साथ अथवा उसके बिना कोई पशु, यदि वह सड़कों पर अथवा उसे रखे जाने के लिए अधिकृत परिसर के बाहर भटकता अथवा बंधा पाया जाए, तो वह नगरपालिका

द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जब्त किया जाएगा तथा कांजी हाउस निरुद्ध किया जाएगा तथा यदि जब्त किए जाने के एक सप्ताह के भीतर स्वामी द्वारा दावा नहीं किया जाता है, तो उसका नगरपालिका द्वारा उपयुक्त रीति में निपटान किया जाएगा।

- (2) पशु के स्वामी से पशु के कांजी हाउस में निरोध की समयावधि के लिए परिशिष्ट '2' में यथाविहित शुल्क के साथ एक मुश्त शास्ति वसूल की जाएगी।
- (3) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है कि किसी पशु के सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित होने का संदेह है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे पशु के स्वामी को, उस पशु को पशु चिकित्सालय में यथास्थिति उपचार अथवा अवलोकन के लिए भेजने के लिए नोटिस जारी करेगा तथा यदि उस पशु का इलाज संभव नहीं है, तो पशुचिकित्सक की अनुशंसा पर उक्त पशु का पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण (टीकाकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप, मरणोत्तर परीक्षण (पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन) की रीति और शव निपटान) नियम, 2010 (The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (From of Vaccination Certificate, Manner of Post Mortem Examination and Disposal of Carcass) Rules, 2010) में यथाविहित रीति में निपटान किया जाएगा। पशु के इलाज तथा निपटान से संबंधित समस्त व्यय स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे।
- (4) यदि कोई ब्रांडेड पशु दो बार से अधिक आवारा भटकते हुए पाया जाए, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उक्त पशु के स्वामी को सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी करेगा। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का स्वामी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण रद्द करने तथा परिशिष्ट '2' में यथाविहित शास्ति वसूल करने हेतु सशक्त होगा। इसके अतिरिक्त, पशु को जब्त किया जाएगा तथा नीलामी द्वारा निपटान किया जाएगा।
- (5) ये नियम पशु प्रदर्शन इत्यादि के लिए लाए जाने वाले पशुओं पर भी लागू होंगे।

5. पशुओं को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए सावधानी .— किसी पशु का स्वामी या प्राधिकृत नियंत्रक, किसी व्यक्ति को परेशानी या नुकसान से बचाने के लिए, किसी पशु को स्वतंत्र, सुरक्षित रूप से थूथनबंद या साजबद्ध किए बिना या जंजीर से बांधे बिना, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं ले जाएगा।

6. पशुओं को रखने से अपात्रता .—

(1) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960, (1960 का 59) के अधीन किसी पशु के स्वामी को दोषी ठहराए जाने की दशा में, न्यायालय उसे ऐसा पशु रखने के लिए तथा पशु अनुज्ञप्ति रखने या प्राप्त करने के लिए ऐसे समय तक के लिए, जैसा कि न्यायालय उचित समझे, अपात्र आदेशित कर सकेगा तथा ऐसे स्वामी को जारी की गई अनुज्ञप्ति निलंबित की गई समझी जाएगी तथा इस प्रकार जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति अपात्रता की समय-सीमा में प्रभावहीन होगी।

(2) पशु क्रूरता के अपराध के लिए ऐसे स्वामी की अनुज्ञप्ति निलंबित किए जाने पर संबंधित पशु को स्वामी के व्यय पर संबंधित नगरपालिका के कांजी हाउस में रखा जाएगा।

7. खतरनाक पशु .—

(1) किसी पशु के खतरनाक होने के संदेह पर या उसे उचित नियंत्रण में न रखे जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, स्वामी को उक्त पशु को तत्काल उचित नियंत्रण में रखने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करेगा तथा उससे सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को भी कहेगा।

(2) स्वामी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान नहीं होने की दशा में, वह स्वामी को नया नोटिस, यह निर्देश देते हुए जारी करेगा कि यदि पशु को तीन दिन के भीतर उचित नियंत्रण में रखने के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो पशु को जब्त कर उसका निपटान नीलामी द्वारा कर दिया जाएगा।

- (3) अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश विरुद्ध कोई अपील, आदेश जारी करने के तीस दिवस के भीतर, यथास्थिति, नगरपालिक निगम की दशा में नगरनिगम के समक्ष तथा नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् की दशा में परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (4) किसी आक्रामक पशु के स्वामी को ऐसे पशु को सुरक्षित रूप से बांधे बिना स्वतंत्र रखने अथवा किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए जानबूझकर या अनजाने में उकसाने या प्रवृत्त करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।
8. **आवारा पशुओं का बंध्याकरण .-** अनुज्ञापन प्राधिकारी सार्वजनिक स्थान पर आवारा घूमने वाले बिना ब्रांडिंग कोड के किसी पशु को जब्त करने तथा उसका पशु चिकित्सक द्वारा बंध्याकरण करने के लिए किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत करेगा। नगरपालिका, लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुपालन के अधीन इस कार्य के लिए, पशु कल्याण संगठनों या गैर सरकारी संस्थाओं को भी सम्मिलित कर सकेगी।
9. **निधियों का उपयोग.-** रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण शुल्क तथा जुर्माना प्रभार के रूप में एकत्र किए गए सभी राजस्व का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :-
- (क) कांजी हाउसों का संधारण ;
- (ख) चारे, स्वास्थ्य देखभाल तथा पशु चिकित्सा सेवाओं की लागत।
10. **निरसन तथा व्यावृत्ति.-** इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, उपविधियां, तथा निर्देश एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:
- परंतु इस प्रकार निरसित उपविधियों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

प्रारूप - क

[नियम 3(1) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण का प्रारूप

1. नगरपालिका का नाम :
2. रजिस्ट्रीकरण नंबर :
3. आवेदक का नाम :
4. पिता का नाम :
5. नगरपालिका में आवासीय पता :
6. मकान नंबर : वार्ड नंबर : स्थान :
7. स्थायी पता :
8. पशुओं की संख्या :
9. पशुओं की श्रेणी :
10. पशुओं के प्रकार :
11. उस स्थान के ब्यौरे जहां पशुओं को रखा जाएगा:
12. पानी एवं प्रकाश की व्यवस्था के ब्यौरे :
13. मल निष्कासन की व्यवस्था :
14. क्या पशु को पशु चिकित्सक द्वारा सांसर्गिक/संक्रामक रोगों से मुक्त प्रमाणित किया गया है?
15. क्या रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण के लिए शुल्क का भुगतान किया गया है?
16. यदि हां, तो उसके ब्यौरे :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रतिपण

रजिस्ट्रीकरण नंबर

..... (नाम) निवासी

से पशुओं के रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ।

रजिस्ट्रीकरण लिपिक के हस्ताक्षर,

नगरपालिका

परिशिष्ट-1

पशुओं के लिए रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण शुल्क

अनु.क्र.	पशु की श्रेणी	रजिस्ट्रीकरण शुल्क	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्वान	रु.150/-	रु. 50/-
2.	मवेशी/ बैल	रु. 200/-	रु. 100/-
3.	अन्य पशु	रु. 50/-	रु. 25/-

परिशिष्ट-2

आवारा पशुओं के लिए एकमुश्त शास्ति एवं कांजी हाउस में निरोध के लिए शुल्क

अनु.क्र.	पशु की श्रेणी	आवारा पशु के लिए एकमुश्त शास्ति			कांजी हाउस में निरोध का शुल्क (प्रतिदिन)
		प्रथम अपराध	द्वितीय अपराध	तृतीय अपराध	
1.	श्वान	रु. 100/-	रु.200/-	रु.500/-	रु.50/-
2.	मवेशी / बैल	रु.200/-	रु.500/-	रु.1000/-	रु.150/-
3.	अन्य पशु	रु.100/-	रु.200/-	रु.500/-	रु.100/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2023

अधि. क्र. 05-3-3-4-0009-2022-अठारह-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23-3-3-4-0009-2022-अठारह-3, दिनांक 23 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय उपसचिव.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 433 read with section 358 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 355, 356 read with section 254 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules for proper control of stray animals at public street or place within the limits of municipal area, namely :-

RULES

1. Short title, extent and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Municipality (Registration and Proper Control of Stray Animals) Rules, 2023.
- (2) These rules shall extend to the entire area under the jurisdiction of the Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Parishad.
- (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

- (b) "Animal" means and includes any Cattle, Dog, Bull, Horse, Pig, Camel, Pony, Goat, Sheep or any other animal;
- (c) "Animal Welfare Organization" means and includes the society for prevention of cruelty to animals and any other welfare organization for animals which is registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) or any other corresponding Act for the time being in force and which is recognized by the Animal Welfare Board of India constituted under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
- (d) "Branding Code" means an identification mark/number given to each animal;
- (e) "Cattle Pound" means a place where all types of stray animals are kept;
- (f) "Court" means the civil court having jurisdiction over the area;
- (g) "Licensing Authority" means the Commissioner of a Municipal Corporation or the Chief Municipal Officer of Municipal or Nagar Parishad;
- (h) "Municipality" means any Municipal Corporation as constituted under section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or Municipal Council or Nagar Parishad as constituted under section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

- (i) "Owner" means any individual or organization whether owner or having possession of animal or cattle with or without the consent of the owner;
- (j) "registration fee" means a fee for registration of an animal prescribed under these rules from time to time;
- (k) "Stray Animal" means any kind of animal found straying around within the limits of Municipality;
- (l) "Veterinary Doctor" means a person holding degree issued by the recognized veterinary college and is registered with the Indian Veterinary Council.

3. Registration of animals and renewal.-

- (1) The owner of every animal kept or brought within the limits of the Municipality shall within three months of notification of these rules or within 7 days of its arrival in the municipal limits, apply for registration of the animal to the licensing authority of the concerned municipality in the prescribed Form A failing which penalty of ten times of the registration fee for such animal shall be imposed on the owner.
- (2) Along with the application of registration, owner shall pay the registration fee as prescribed in Annexure 1 and also submit a certificate duly issued by a veterinary doctor that the animal does not suffer from any infectious or contagious disease and is fit to be kept within the premises meant for the purpose.
- (3) Licensing authority after registration shall get the animal branded through microchip, tag or any other permissible means under the supervision of veterinary doctor with Branding Code which will contain detailed information of the owner. The Branding Code shall also be recorded in the registration record of the Municipality. The cost of Branding Code shall be borne by the owner.

- (4) The registration of the animal shall be valid for a period of one year. After the expiry of the registration period, the owner shall apply for renewal in Form A within a period of thirty days, failing which a penalty at the rate of ten percent of the registration fee shall be imposed for each day of delay.

4. Construction and maintenance of cattle pounds.-

- (1) Every Municipality shall construct cattle pounds of adequate capacity to keep impounded stray animals. An animal with or without Branding Code, if found straying or tethering on the streets or outside the enclosure of the premises where it is authorized to be kept, shall be impounded and detained in the Cattle pound by the officer authorized by the Municipality and shall be disposed off in an appropriate manner by the Municipality, if not claimed by the owner within a week of its impounding.
- (2) A one time penalty along with fee for the period of detention in the cattle pound as prescribed in Annexure 2 shall be recovered from the owner of the animal.
- (3) In case, it is brought to the notice of licensing authority, that an animal is suspected to be suffering or suffering from any infectious or contagious disease, the licensing authority shall issue a notice to the owner of such animal to refer the animal to the veterinary hospital for observation or treatment, as the case may be, and if the animal cannot be cured, on the recommendation of the veterinary doctor, said animal shall be disposed off in the manner as prescribed in the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Form of Vaccination Certificate, Manner of Postmortem Examination and Disposal of Carcass) Rules, 2010. All expenses related to treatment and disposal of the animal, as the case may be, shall be borne by the owner.
- (4) Branded animals, if found straying more than two times, licensing authority shall issue a notice to the owner to give explanation within seven days. In case licensing authority is not satisfied with the explanation given by the owner, he shall be empowered to cancel the registration and to recover penalty as prescribed under Annexure 2. In

addition to this, the animal shall be impounded and disposed of by auction.

- (5) These rules shall also apply to the animals brought for animal show etc.

5. Caution for taking animal to public place.-

Owner of the animal or his authorized handler, shall not allow any animal to be at large in public street or public place without being securely muzzled or harnessed or chained to avoid any annoyance or harm to any person.

6. Disqualification from keeping animals.-

- (1) In case of conviction of the owner of an animal, under Prevention of cruelty Animals Act, 1960 (59 of 1960), the court may order him to be disqualified for keeping such animal and for holding or obtaining an animal license for such period as it thinks fit and the license issued to such owner shall be deemed to have been suspended and the license so issued shall not have any effect during the span of such disqualification.
- (2) On suspension of the license of such owner for the offence of cruelty to animal, the animal concerned, shall be kept in the Cattle pound of the concerned municipality at the expense of the owner.

7. Dangerous animal.-

- (1) On receipt of a complaint regarding an animal suspected to be dangerous or not being kept under proper control, the licensing authority, shall issue a notice directing the owner to put the animal immediately, under proper control and shall also ask him to give explanation within seven days.
- (2) In case the licensing authority is not satisfied with the explanation given by the owner, he shall issue a fresh notice to the owner directing him that if the direction to keep the animal under proper control is not complied within three days, the animal shall be impounded and disposed of by auction.
- (3) An appeal against the order of the licensing authority can be filed before the Corporation in case of the Municipal Corporation and also to the Council in case of Municipal

Council and Nagar Parishad, as the case may be, within 30 days of issue of such orders.

- (4) The owner of any ferocious animal shall not allow such animal to be at large without being securely chained or to be set on or urge such animal to attack, intimate any person knowingly or unknowingly.

8. Sterilization of stray animals.-

The licensing authority shall authorize an officer or officers to impound any animal found straying in public place, which does not have a Branding Code and get it sterilized from the veterinary doctor. The Municipality may involve Animal Welfare Organizations or other NGO's in this exercise subject to compliance of provisions of the applicable Acts and Rules.

9. Utilization of funds.-

All revenue collected by way of registration/renewal fee and penalty charges shall be used for the following purposes, namely :-

- (a) Maintenance of Cattle Pounds;
(b) Cost of feed, health care and veterinary services.

10. Repeal and saving.-

All rules, bye-laws and instructions in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any order made, or action taken under the bye-laws, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM-A
[see rule 3 (1)]
FORM OF REGISTRATION/RENEWAL

1. Name of Municipality :
2. Registration No. :
3. Name of the applicant :
4. Father's Name :
5. Residential address in Municipality :
6. House No. Ward No. Locality :
7. Permanent address :
8. Number of animals :
9. Category of animals :
10. Types of animals :
11. Details of place where animals shall be kept :
12. Details of water and lighting arrangements :
13. Arrangement of disposal of faeces :
14. Has the animal been certified by the veterinary doctor to be free from contagious/infectious diseases?
15. Has the fee for registration/renewal been paid?
16. If yes, details thereof :

Signature of the applicant

COUNTERFOIL

Registration No.

Received an application for registration/renewal of animals from.....resident of.....

Signature of Registration Clerk,
Municipality

ANNEXURE-1
REGISTRATION/RENEWAL FEE FOR ANIMALS

S.No.	Category of animal	Registration Fee	Annual Renewal Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dogs	Rs.150/-	Rs.50/-
2.	Cattle/Bull	Rs.200/-	Rs.100/-
3.	Other animal	Rs.50/-	Rs25/-

ANNEXURE-2
One time penalty and detention fee at Cattle Pounds for Stray Animals

S.No.	Category of animal	One time penalty for Stray Animal			Fee for detention in Cattle Pound (per day)
		1st offence	2nd offence	3rd offence	
1.	Dogs	Rs.100/-	Rs.200/-	Rs.500	Rs.50/-
2.	Cattle/Bull	Rs.200/-	Rs.500/-	Rs.1000/-	Rs.150/-
3.	Other animals	Rs.100/-	Rs.200/-	Rs.500/-	Rs.100/-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEYA, Dy. Secy.